दिनांक-15.12.2025 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 18वीं साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निम्नांकित माननीया / माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया,जिसकी उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

1. श्रीमती सीता साहू - महापौर, पटना नगर निगम
2. श्री रेशमी कुमारी - उप-महापौर, पटना नगर निगम
3. श्रीमती श्वेता राय - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति
4. श्रीमती अनीता देवी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति
5. श्रीमती कांति देवी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति
6. श्रीमती कावेरी सिंह - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति
7. श्री कुमार संजीत - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति
8. श्री मनोज कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति
9. श्री बिनोद कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति

<u>निगम प्रशासन</u>

1. श्री यशपाल मीणा, भा.प्र.से. - नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
2. श्री राजन सिन्हा , बि.पु.से. - अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
3. श्री कृष्ण स्वरूप , बि.प्र.से. - अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
4. श्री विनय कुमार , बि.प्र.से - अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
5. श्री ज्योत प्रकाश - उप नगर आयुक्त-सह- नगर सचिव, प.न.नि.
6. श्री रामाशीष शरण तिवारी - उप-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
7. श्री गंगा कान्त ठाकुर - कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल
8. श्री आशुतोष कुमार - कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल
9. सुश्री श्रेया कश्यप - कार्यपालक पदाधिकारी, अजिमाबाद अंचल
10. श्री राम स्वरूप प्रसाद - कार्यपालक अभियंता, जलापूर्ति/पटना सिटी प्रमंडल
11. श्री सुशील कुमार झा - कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल
12. श्री आशीष प्रसाद - कार्यपालक अभियंता, कंकडबाग/पाटलिपुत्र/बॉकीपुर प्रमंडल
13. श्री अवधेश कुमार सिंह - निजी सहायक, पटना नगर निगम

सीता साहू
महापौर
निगम

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यों एवं नये नगर आयुक्त तथा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का मैं बैठक में अभिनन्दन करती हूँ। बैठक की कार्यवाही शुरू की जाय।

नगर आयुक्त :- माननीया महापौर महोदय, निगम में सशक्त स्थायी समिति का मेरा पहला बैठक है। माननीया महापौर, उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यों तथा पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत है। कुछ नये पदाधिकारी आये है, जो अपना परिचय दें।

नगर सचिव, कार्यसूची को पढ़ें।

अ0मद सं0-01 :- **दिनांक-19.03.2025 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की चतुर्थ विशेष बैठक(बजट 2025-26) की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

मद संख्या- 01 :- **सशक्त स्थायी समिति की 14वीं साधारण बैठक दिनांक-10.05.2025 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

मद संख्या- 02:- **सशक्त स्थायी समिति की 15वीं साधारण बैठक दिनांक-03.06.2025 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

मद संख्या- 03:- **सशक्त स्थायी समिति की 16वीं साधारण बैठक दिनांक-16.09.2025 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

मद संख्या- 04:- **सशक्त स्थायी समिति की 17वीं साधारण बैठक दिनांक-04.10.2025 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सशक्त स्थायी समिति की पाँच बैठकों की कार्यवाही की सम्पुष्टि करने का प्रस्ताव है। लेकिन संचिका अभी तक अप्राप्त है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, संचिका प्राप्त होने पर ही कार्यवाही की सम्पुष्टि किया जायेगा। अध्यक्ष महोदया उक्त बैठकों में निगम एवं जनहित में कई प्रस्ताव पारित किये गये है।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- सम्पुष्टि हेतु संचिका शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

मद संख्या-05:- **वार्ड संख्या-21 स्थित अदालतगंज के इस्कॉन मंदिर प्रवेश द्वार में पेभर ब्लॉक लगाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मन्दिर के प्रवेश द्वार पर पेभर लगाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मन्दिर के प्रवेश द्वार में पेभर ब्लॉक लगाने का प्रस्ताव है। कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया है कि प्रवेश द्वार पर पेभर ब्लॉक लगाने का कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। इस विषय पर चर्चा हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार:- मैं माननीया अध्यक्ष महोदया के आदेशानुसार बताना चाहता हूँ कि जो संलेख सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लाया गया है। वह गलत है। क्योंकि इस्कॉन मन्दिर के पीछे का गेट (पश्चिमी भाग) पर पेभर ब्लॉक लगाने का प्रस्ताव है। उसका संलेख नहीं आया है।

नगर आयुक्त :- कार्यपालक अभियंता, नू0रा0प्र0 स्पष्ट करें।

का0अभि0,नू0रा0प्र0:- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस्कॉन मन्दिर के पीछे के भाग का संलेख नहीं बना है। वहाँ पर मात्र 10X15 फीट जगह है। जहाँ पर पेभर ब्लॉक लगाना है।

अपर नगर आयुक्त(प्रर्वत्तन):- कार्यपालक अभियंता, नू0रा0प्र0 स्थल जाँच कर प्राक्कलन के साथ संलेख अगली बैठक में रखें।

मद संख्या- 06 :- **पटना नगर निगम क्षेत्र में वाल पेंटिंग हेतु स्थल की सूची, क्षेत्रफल एवं मापी के साथ उपलब्ध करायें।**

अध्यक्ष :- निगम क्षेत्र में वाल पेंटिंग हेतु स्थल की सूची, क्षेत्रफल एवं मापी के साथ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जलापूर्ति से संबंधित शिकायतें कई वार्डो में है। कई वार्डो में अधूरा कार्य कर बंद कर दिया गया है। संवेदक द्वारा बताया गया कि राशि नहीं मिलने के कारण कार्य बंद है। माननीया अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि जलापूर्ति शाखा से जो राशि का डिमांड है, उसे समीक्षोपरान्त राशि उपलब्ध कराया जाय ताकि कार्य में प्रगति आये और आमजनों को इसका लाभ मिल सके।

नगर आयुक्त :- इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

मद संख्या-10 :- **वार्ड संख्या-65 के अन्तर्गत खाजेकला पानी टंकी स्थित निगम भूमि (जलापूर्ति शाखा) को चाहरदिवारी एवं आधुनिक विवाह भवन निर्माण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- वार्ड संख्या-65 में विवाह भवन निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री मनोज कुमार:- माननीया अध्यक्ष महोदया, विवाह भवन सुन्दर ढंग से बने और वह जी+4 हो। वहाँ पर पटना नगर निगम की काफी जमीन उपलब्ध है।

नगर आयुक्त :- संबंधित कार्यपालक अभियंता इस विषय को स्पष्ट करें।

कार्य0अभि0अजि0:- माननीया अध्यक्ष महोदया, खाजेकला पानी टंकी स्थित निगम की 2.5 कठ्ठा जमीन है। जिस पर आधुनिक विवाह भवन निर्माण का प्रस्ताव है। जिसका प्राक्कलन तैयार कर मुख्यालय में स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

मद संख्या-11 :- **अजीमाबाद अंचल के बाहर आधुनिक वेंडिंग जोन का निर्माण।**

अध्यक्ष :- अजीमाबाद अंचल के बाहर आधुनिक वेंडिंग जोन का निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री मनोज कुमार:- नगर आयुक्त साहब, जिस प्रकार से कदम कुआँ स्थित वेंडिंग जोन का निर्माण हुआ है। आज उसकी चर्चा पूरे बिहार में है। उसी प्रकार निगम क्षेत्र में वेंडरों की समस्या को देखते हुए आधुनिक वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है। सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में हुए वाल पेंटिंग की सूची, क्षेत्रफल एवं मापी के साथ उपलब्ध करायें। यह भी चिन्हित करें कि कहाँ-कहाँ वाल पेंटिंग की आवश्यकता है। उसकी भी सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध करायें।

मद संख्या-07 :- **वार्ड संख्या-57 स्थित अजीमाबाद कार्यालय के पूर्वी गेट के पास उच्च प्रवाही बोरिंग स्थापित करने के संबंध में।**

मद संख्या-08 :- **वार्ड संख्या-69 के अन्तर्गत भैसानी टोला, बड़ी बगीचा रेलवे लाईन के पश्चिम निगम भूखंड पर ओ0पी0साह सामुदायिक भवन के पीछे उच्च प्रवाही बोरिंग निर्माण के संबंध में।**

एवं

मद संख्या-09 :- **वार्ड संख्या-07 के अन्तर्गत पटेल नगर, उर्जा पार्क में हाई यील्ड बोरिंग अधिष्ठापन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पेय जल हेतु उच्च प्रवाही बोरिंग का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- इस मद का संलेख अप्राप्त है। लेकिन अंचल के समीक्षा बैठक के क्रम में बताया गया कि इस क्षेत्र में पेय जल की समस्या को देखते हुए उच्च प्रवाही बोरिंग का संलेख अगली बैठक में रखे। एवं जितने भी बोरिंग का प्रस्ताव है, उनका समीक्षोपरान्त उच्च प्रवाही बोरिंग का संलेख एक साथ उपस्थापित करें।

श्री मनोज कुमार:- नगर आयुक्त महोदय, उच्च प्रवाही बोरिंग लगाने का प्रस्ताव कई पिछले कई माह से लंबित है। गरमी के दिनों में पेय जल की काफी समस्या होती है। कई वार्डो में उच्च प्रवाही बोरिंग का प्रस्ताव आया है। यह निगमहित में है।

श्री बिनोद कुमार:- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि उच्च प्रवाही बोरिंग जनहित में आवश्यक है। यह काफी दिनों से लंबित है। जितने भी उच्च प्रवाही बोरिंग का मामलें है उसकी तनकीनकी स्वीकृति हेतु भेजा जाय। इन सभी उच्च प्रवाही बोरिंग का संलेख अगली बैठक में उपस्थापित किया जाय।

कार्य0अभि0जलापूर्ति :- कार्यसूची में अंकित संबंधित वार्डो के उच्च प्रवाही बोरिंग का संलेख प्राक्कलन सहित तैयार किया गया है। जिसे मुख्यालय में भेजा गया है। संलेख पर स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अगली बैठक में रखा जाएगा।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री बिनोद कुमार:- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम क्षेत्र में जहाँ-जहाँ वेंडिंग बनाने का प्रस्ताव है, उसमें सभी प्रकार के वेंडरों का रखा जाय। जिससे एक ही जगह से नागरिकों को सभी तरह के सामनों को क्रय कर सके।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता वेंडिंग जोन का जो भी प्रस्ताव है। उन सभी का संलेख अगली बैठक में उपलब्ध कराया जाय।

मद संख्या-12 :- **वार्ड संख्या-67 के अन्तर्गत कैमाशिको के दलित बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- कैमाशिको के दलित बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री बिनोद कुमार:- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना सिटी के कई वार्डों में दलित बस्ती है। उन बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को काफी समस्या है। मेरा सुझाव है कि वहाँ सामुदायिक भवन बनना चाहिए। इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

नगर आयुक्त :- संबंधित कार्यपालक अभियंता स्पष्ट करें।

कार्य0अभि0 सिटी:- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस आशय प्राक्कलन एवं संलेख अगली बैठक में रखा जाएगा।

मद संख्या-13 :- **वार्ड संख्या-30 स्थित दशरथा स्थित निगम भूखंड पर आधुनिक वेंडिंग जोन का निर्माण।**

श्रीमती कावेरी सिंह:- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरे वार्ड में सड़कों के किनारे यत्र-तत्र सब्जी एवं फल बिक्रेता ठेला लगाकर बचते है। जिससे जाम की समस्या होती है। मेरा सुझाव है कि वहाँ भी आधुनिक वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जाय।

अपर नगर आयुक्त(पर्वत्तन):- कार्यपालक अभियंता, कंकड़बाग प्रमंडल स्थल को जाँच कर प्राक्कलन सहित संलेख उपस्थापित करें।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-14 :- **प्रत्येक वार्ड में 5 लाख रू0 के अन्तर्गत मेन होल एवं कैचपीट की मरम्मति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- मेन होल एवं कैचपीट की मरम्मति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मेन होल का निर्माण / मरम्मति कार्य मानूसन आने के पूर्व एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर की जाती है। इन मेन होलों की निर्माण/मरम्मति में विलंब का सामना करना पड़ता है। जिससे नागरिकों में काफी आक्रोश एवं मुख्यालय स्तर पर शिकायतें भी प्राप्त होती है। इन मेन होलों का निर्माण माननीय वार्ड पार्षद योजना मद से कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। जो एक करोड़ की राशि मद से अथवा अतिरिक्त राशि का प्रावधान किये जाने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेन होल की मरम्मति एवं निर्माण कार्य के लिए 05 लाख रू0 आवंटन का प्रस्ताव है। मेरा सुझाव है कि इसे अतिरिक्त मद से प्रत्येक वार्ड में पाँच-पाँच की राशि इस शर्त्त पर उपलब्ध कराया जाय। पिछले वार प्रत्येक वार्ड में मेन होल मरम्मति के लिए जो निविदा हुआ था। उसमें तीन लाख की राशि उपलब्ध करायी गई थी, शेष बकाया राशि को इस पाँच लाख रू0 में से भुगतान कर बचे हुए राशि से नये मेन होल की मरम्मति एवं निर्माण कार्य कराया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस प्रस्ताव का पारित किया जाय।

नगर आयुक्त :- सभी कार्यपालक पदाधिकारी/अभियंता अपने-अपने अंचल/प्रमंडल में मेन होल/कैचपीट की सर्वे कर माननीय पार्षदों एवं सफाई निरीक्षकों के संयुक्त हस्ताक्षर से मेन होल/कैचपीट निर्माण/मरम्मति हेतु सूची तैयार कर मुख्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव संख्या-433:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक वार्ड में अतिरिक्त मद से 5 लाख रू0 के अन्तर्गत मेन होल एवं कैचपीट की मरम्मति कार्य का सर्वे कराकर सूची माननीय पार्षदों एवं सफाई निरीक्षकों के संयुक्त हस्ताक्षर से उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- मौर्यालोक परिसर अन्तर्गत मौर्या टावर में .... 'बी' ब्लॉक में जीम तथा 'ए' ब्लॉक में मौर्या मण्डपम का निर्माण हुआ है। इसके निर्माण पर निगम का काफी राशि व्यय हुए है। अब उससे निगम को आय होनी चाहिए।

श्री मनोज कुमार :- नगर आयुक्त साहब, मेरा सुझाव है कि उक्त तीनों का जो निर्माण हुआ है, उसका रख-रखाव एवं उसका उपयोग हेतु आउटसोर्स एजेंसी को दिया जाय। इस आशय का संलेख पूर्ण ब्योरा के साथ उपस्थापित किया जाय। वैसे एजेंसी का चयन हो निगम को अच्छी राशि दे सके।

नगर सचिव :- इस आशय का संलेख अगली बैठक में उपलब्ध कराया जाय।

मद संख्या-15 :- **दीघा रोड, घुरदौड़ से अस्सी अस्पताल के पश्चिम ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल तक सड़क का नाम आचार्य किशोर कुणाल के नाम से नामकरण करने के संबंध में।**

अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल जी के नाम से सड़क नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्व0 किशोर कुणाल, भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी थे एवं अपने सेवा से त्याग पत्र देने के बाद वे पटना जक्शन स्थित महावीर मन्दिर के जीर्णोद्धार का कार्य किया और उसका नया स्वरूप दिया। इसके अलावा नागरिकों के लिए अस्पताल एवं अन्य समाज सेवी संस्थान का निमार्ण कराया। धार्मिक कार्यो के प्रति उनका विशेष झुकाव था। जिसके कारण उन्हें आचार्य के पद से सुशोभित किया गया। इनके नाम पर दीघा रोड, घुरदौड़ से अस्सी अस्पताल के पश्चिम ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल तक सड़क का नाम आचार्य किशोर कुणाल के नाम से नामकरण करने का प्रस्ताव है। इस आशय का संलेख अप्राप्त है। मेरा सुझाव है कि अगली बैठक में इसका संलेख लाया जाय।

श्री बिनोद कुमार : माननीया अध्यक्ष महोदया, मै। माननीय सदस्य के बात से सहमत हूँ। इसका संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

अपर नगर आयुक्त(पवर्त्तन) :- मुख्य नगर अभियंता, नामकरण के प्रस्ताव को संबंधित अंचल /प्रमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी/अभियंता से प्रतिवेदन प्राप्त कर अगली बैठक में संलेख उपस्थापित करें।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-16 :- **वार्ड संख्या-42 अन्तर्गत काजीपुर रोड नं0-02 से क्वार्टर नं0-2/28 से शकरखार हाउस एवं क्वार्टर नं0-2/28 से ए0एस0जी0 आई हॉस्पिटल तक डी0आई0 जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तार का कार्य का तकनिकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि आवंटन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- जलापूर्ति पाइप लाईन विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

अपर नगर आयुक्त(पवर्त्तन) :- कार्यपालक अभियंता, जलापूर्ति पाइप लाईन विस्तार का प्रस्ताव है। इस आशय का संलेख अप्राप्त है, स्पष्ट करें।

कार्य0अभि0जलापूर्ति :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-42 अन्तर्गत काजीपुर रोड नं0-02 से क्वार्टर नं0-2/28 से शकरखार हाउस एवं क्वार्टर नं0-2/28 से ए0एस0जी0 आई हॉस्पिटल तक डी0आई0 जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तार का कार्य का तकनिकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि आवंटन से संबंधित प्रस्ताव का संलेख तकनिकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है, स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात संलेख अगली बैठक में रखा जाएगा।

मद संख्या-17 :- **वार्ड संख्या-63 के अन्तर्गत के0बी0एम0 रोड हरनाहा टोला में हाई यील्ड बोरिंग का अधिष्ठापन के संबंध में।**

मुख्य नगर अभि0 :- कार्यसूची में अंकित संबंधित वार्डो में उच्च प्रवाही बोरिंग अधिष्ठापित करने का संलेख प्राक्कलन सहित स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजी गयी है, स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अगली बैठक में रखा जायेगा।

मद संख्या-18 :- **वार्ड संख्या-25 क्षेत्रान्तर्गत नया बोरिंग(हाईयील्ड) अधिष्ठापन के संबंध में।**

मुख्य नगर अभि0 :- कार्यसूची में अंकित संबंधित वार्डो में उच्च प्रवाही बोरिंग अधिष्ठापित करने का संलेख प्राक्कलन सहित स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजी गयी है, स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अगली बैठक में रखा जायेगा।

मद संख्या-19 :- **वार्ड संख्या-67 के अन्तर्गत पुराने बोरिंग के स्थान पर नया बोरिंग करने के संबंध में।**

महापौर
पटना नगर निगम

मुख्य नगर अभि0:- कार्यसूची में अंकित संबंधित वार्डो में उच्च प्रवाही बोरिंग अधिष्ठापित करने का संलेख प्राक्कलन सहित स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजी गयी है, स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अगली बैठक में रखा जायेगा।

मद संख्या- 20 :- **वार्ड संख्या-07 के अन्तर्गत जलापूर्ति पाईप लाईन का विस्तार के संबंध में।**
(क) महेश नगर रोड-03 ए से अटल पथ)
(ख) महेश नगर रोड नं0-3बी से नाला तक

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

मद संख्या- 21 :- **वार्ड संख्या-27 के अन्तर्गत ध्वस्त पम्प हाउस को नया सम्प हाउस बनाने एवं पाईप लाइन विस्तार के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

मद संख्या- 22 :- **वार्ड संख्या-04 के अन्तर्गत अम्बेदकर सामुदायिक भवन, खाजपुरा के पास हाई यील्ड बोरिंग अधिष्ठापन के संबंध में।**

मुख्य नगर अभि0:- कार्यसूची में अंकित संबंधित वार्डो में उच्च प्रवाही बोरिंग अधिष्ठापित करने का संलेख प्राक्कलन सहित स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजी गयी है, स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अगली बैठक में रखा जायेगा।

मद संख्या- 23 :- **वार्ड संख्या-62 में अन्तर्गत बब्लू जी के मकान से शीतला मंदिर तक C.I पाईप बिछाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

मद संख्या- 24 :- **वार्ड संख्या-62 में अन्तर्गत संजय पान दुकान से मुंशी जी के मकान तक C.I पाईप बिछाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

मद संख्या- 25 :- **वार्ड संख्या-62 में अन्तर्गत राज कुमार पंडित जी के मकान से गुड्डु मेहता के मकान तक C.I पाईप बिछाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या- 26 :-**मारूफगंज मंडी के बड़ी देवी जी सड़क को अशोक राजपथ से सीधे उत्तर दिशा की ओर जाती है जर्जर अवस्था में है, उसे मरम्मति कराने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

श्री मनोज कुमार :- नगर आयुक्त साहब, मारूफगंज मंडी में बड़ी देवी जी का अधिष्ठापन दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रत्येक वर्ष होता है, जिसे दर्शन हेतु महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं भारी संख्या में दर्शनार्थियों की भीड़ होती है। वहाँ की सड़क काफी जर्जर अवस्था में है। इसकी मरम्मती की आवश्यकता है।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, संबंधित स्थल का निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार कर संलेख अगली बैठक में उपस्थापित करें।

मद संख्या- 27 :- **वार्ड संख्या-54 अन्तर्गत निम्नांकित क्षेत्रों में मेन पाईप विस्तार करने के संबंध में।**

(क) शेरशाह रोड से बेलदार टोली
(ख) काली मंदिर के सामने शिव पान वाला गली, बिस्कोमान कॉलनी
(ग) काली मंदिर के सामने वाटर पंप के पूर्व अपार्टमेंट वाला गली
(घ) पीतांबरा मंदिर कॉलनी रोड संख्या-02 दयानन्द जी के मकान से विनोद पंडित जी के मकान तक
(ड) नहर रोड कुशवाहा पंचित बैठक से उत्तर राहूल मेहता जी के मकान तक(80मीटर)

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, संबंधित स्थल का निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार कर संलेख अगली बैठक में उपस्थापित करें।

मद संख्या- 28 :- **मौर्यालोक कम्पलेक्स, के अन्तर्गत गेट संख्या-01 के बगल में वट वृक्ष के नीचे सुधा बुथ खोलने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

नगर आयुक्त :- कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी अंचल संबंधित स्थल का निरीक्षण/समीक्षा कर प्राक्कलन तैयार कर संलेख अगली बैठक में उपस्थापित करें।

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या- 29 :- **नौजर कटरा से लेकर दीदारगंज घाट तक रिवर फ्रंट एवं कलेक्ट्रीयट घाट से दीघा घाट तक रिवर फ्रंट बनाने हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को भेजने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- रिवर फ्रंट बनाने हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को भेजने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री बिनोद कुमार:- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस आशय का संलेख अप्राप्त है। रिवर फ्रंट बनने से घाटों की सौन्दर्यता एवं नागरिकों को आने-जाने में सुविधा होगी। मेरा सुझाव है कि इसका डी0पी0आर0 तैयार कराकर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को भेजने हेतु संलेख अगली बैठक में लाया जाय।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, स्थल सर्वेक्षण कर डी0पी0आर0 बनाने का कार्रवाई करे एवं प्राक्कलन सहित संलेख अगली बैठक में रखें।

मद संख्या- 30 :- **वार्ड संख्या-66 के जरासंघ भवन के प्रांगण में जरासंघ भवन में द्वितीय तल पर सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- सामुदायिक भवन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री बिनोद कुमार :- जरासंघ भवन के प्रांगण में सामुदायिक भवन, द्वितीय तल पर निर्माण हेतु का प्रस्ताव है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस आशय का संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

अपर नगर आयुक्त(पवर्त्तन) :- मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम जरासंघ भवन के प्रागंण में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु स्थल जाँच कर संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

मद संख्या- 31 :- **सशक्त स्थायी समिति से पारित प्रस्तावों के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के संबंध में।(प्रथम साधारण बैठक से 13वीं साधारण बैठक तक)**

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, इसे अगली बैठक में रखें।

मद संख्या- 32 :- वार्ड संख्या-45 स्थित बहादुरपुर स्थित न्यू ग्रीन पार्क में फाउंटेन लगाने के संबंध में।

अध्यक्ष :- न्यू ग्रीन पार्क में फाउंटेन लगाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, चौक-चौराहों पर फाउंटेन लगाने से वहाँ के सुन्दरता बढ़ेगी। कुछ स्थानों पर फाउंटेन का निर्माण हुआ है। मेरा सुझाव है कि स्थल जाँच कर संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

अपर नगर आयुक्त(पवर्त्तन) :- मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम स्थल जाँच कर समीक्षोपरान्त नियमानुसार प्राक्कलन सहित संलेख उपस्थापित करें।

मद संख्या- 33 :- वार्ड संख्या-72 में अशोक राजपथ मुख्य सड़क लिंक पथ से अनील कुमार यादव जी (बजरंगवली मंदिर) के मकान से सहदरा चौड़ाहा तक का नामकरण वरिष्ट समाजसेवी एवं पूर्व पार्षद स्व0 नथुनी राम यादव जी के नाम से मार्ग का नामकरण करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- वरिष्ट समाजसेवी एवं पूर्व पार्षद स्व0 नथुनी राम यादव जी के नाम से मार्ग का नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- स्व0 नथुनी राम यादव जी पटना नगर निगम के पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ समाजसेवी थे। गुरू का बाग जाने को जो मुख्य मार्ग है, उसके रास्ते के अपनी जमीन स्व0 नथुनी राम यादव जी द्वारा दी गयी थी। अत: उनके द्वारा किये गये कार्यो को ध्यान में रखते हुए वार्ड संख्या-72 में अशोक राजपथ मुख्य सड़क लिंक पथ से अनील कुमार यादव जी (बजरंगबली मंदिर) के मकान से सहदरा चौड़ाहा तक का नामकरण वरिष्ट समाजसेवी एवं पूर्व पार्षद स्व0 नथुनी राम यादव जी के नाम से करने की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श एवं स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्व0 नथुनी राम यादव जी पटना नगर निगम के पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ समाजसेवी थे। गुरू का बाग जाने वाले मुख्य मार्ग का जमीन स्व0 यादव जी द्वारा दिया गया है। अत: मेरा सुझाव है कि उस सड़क का नाम स्व0 नथुनी राम यादव जी के नाम से नामकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती अनीता देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं नामकरण के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-434 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-72 में अशोक राजपथ मुख्य सड़क लिंक पथ से अनील कुमार यादव जी (बजरंगवली मंदिर) के मकान से सहदरा चौड़ाहा तक का नामकरण वरिष्ट समाजसेवी एवं पूर्व पार्षद स्व0 नथुनी राम यादव जी के नाम से मार्ग का नामकरण करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या- 34 :- **वार्ड संख्या-29 अन्तर्गत करबिगहिया में स्थित जर्जर धोबी घाट का जीर्णोद्धार एवं एक बोरिंग की व्यवस्था करने के संबंध में।**

एवं

मद संख्या- 35 :- **वार्ड संख्या-47 में रामपुर रोड धोबी घाट के पुनः निर्माण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- जर्जर धोबी घाट का जीर्णोद्धार एवं बोरिंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री मनोज कुमार :- नगर आयुक्त साहब वार्ड संख्या-29 अन्तर्गत करबिगहिया धोबी घाट के जीर्णोद्धार एवं वार्ड संख्या-47 में रामपुर रोड में धोबी घाट का निर्माण का प्रस्ताव है। रजक संघ द्वारा कई बार धोबी घाट के निर्माण /मरम्मति हेतु अनुरोध किया गया है। इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया निगम क्षेत्र में धोबी घाट का निर्माण होना चाहिए। इसका संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

अपर नगर आयुक्त(पवर्त्तन) :- मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम जिन-जिन धोबी घाटों का जीर्णोद्धार करने एवं नये निर्माण का प्रस्ताव है, उसकी स्थल जाँच कर समीक्षोपरान्त प्राक्कलन तैयार कर संलेख स्वीकृति हेतु अगली बैठक में रखें।

मद संख्या- 36 :- **वार्ड संख्या-57 अन्तर्गत एक करोड़ योजना अन्तर्गत वितीय वर्ष 2021-2022 में चयनित योजना, 5R/57/1824/2021 में क्रम संख्या तीन में अंकित सामुदायिक भवन दादर मंडी योजना को रद्द कर नयी चयनित स्थान नीम की भट्ठी निकट मोती केसरी के घर के बगल में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने के संबंध में।**

सीता साहू

महापौर

पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- सामुदायिक भवन निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री मनोज कुमार :- वार्ड संख्या-57 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामुदायिक भवन दादर मंडी में बनाने हेतु स्थल का चयन किया गया था। जिसकी योजना संख्या- 5R/ 57/ 1824 /2021 है को रद्द करते हुए वार्ड संख्या-57 में ही नीम की भट्ठी के निकट मोती केसरी के घर के बगल में सामुदायिक भवन निर्माण का प्रस्ताव है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सामुदायिक भवन निर्माण हेतु स्थल का परिवर्तन किया गया है। आशय का संलेख अप्राप्त है। मेरा सुझाव है कि सामुदायिक भवन निर्माण हेतु संलेख लाया जाय।

नगर आयुक्त :- संबंधित अंचल के कार्यपालक अभियंता वार्ड संख्या-57 स्थित सामुदायिक भवन की योजना को पुनः स्थल जाँच कर एवं समीक्षोपरान्त प्राक्कलन सहित संलेख तैयार स्वीकृति हेतु भेजे।

मद संख्या- 37 :- **वार्ड संख्या-26 अन्तर्गत टेलीग्राफ कॉलोनी नियर फ्लिपकार्ट ऑफिस के नजदीक हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखें।

मद संख्या- 38 :- **वार्ड संख्या-26 अन्तर्गत बांस घाट अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पीछे प्लाट नं0-613, थाना न0-04 मौजा-दुजरा के पास सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, संलेख अगली बैठक में रखें।

मद संख्या- 39 :- **वार्ड संख्या-44 के अन्तर्गत हाई यील्ड बोरिंग अधिष्ठापन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- वार्ड संख्या-44 के अन्तर्गत हाई यील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के माननीय पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया गया है, योजना की तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/ स्वीकृति हेतु रखा गया है, जो निम्नवत् है :

S.No.	Name of Work	Estimated Amount
1-	Construction Of High Yield Tube Well at Munna Chowk, Kankarbag at Ward No.44	1,36,46,800-00

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, शहर का विस्तार हो रहा है और आबादी भी बढ़ रही है। मेरा सुझाव है कि पेय जल हेतु इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-435:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-44 के अन्तर्गत हाई यील्ड बोरिंग अधिष्ठापन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, योजना की तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है, जो निम्नवत् है :-**

S.No.	Name of Work	Estimated Amount
1-	Construction Of High Yield Tube Well at Munna Chowk, Kankarbag at Ward No.44	1,36,46,800-00

मद संख्या- 40 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत (मुक्तिधाम) श्मशान घाटों यथा-दीघा घाट, बांस घाट, गुलबी घाट, खांजेकला घाट एवं नंदगोला घाट पर अंत्येष्टि हेतु न्यूनतम दर पर लकड़ी उपलब्ध कराने एवं डोम राजा का शुल्क निर्धारण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- (मुक्तिधाम) श्मशान पर अंत्येष्टि हेतु न्यूनतम दर पर लकड़ी उपलब्ध कराने एवं डोम राजा का शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्र में स्थित अन्तर्गत (मुक्तिधाम) श्मशान घाटों पर मृतक के परिजनों को अंत्येष्टि कार्य हेतु वन विभाग से लकड़ी का क्रय किया जाना है। जिससे मृतक के परिजनों को 1000/- रू0 शुल्क लेकर दिया जाएगा। शेष व्यय होने वाले राशि का वहन निगम द्वारा किया जाएगा। जिसपर विचार विमर्श हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि निगम क्षेत्र में दीघा घाट, बांस घाट, गुलबी घाट, खाजेकला घाट, नंदगोला घाट एवं बागजाफर खाँ घाट है। जहाँ नागरिकों द्वारा दाह संस्कार किया जाता है। बांस घाट, गुलबी घाट एवं खाजेकला घाट में दाह संस्कार हेतु अधिक संख्या में लोग आते है।

अध्यक्ष महोदया, दाह संस्कार करने हेतु जो जनता आते है उनसे मुखाग्नि देने की प्रक्रिया में डोम राजा द्वारा काफी तंग किया जाता है। वे दस हजार, 05 हजार, एक हजार रूपये तक की मांग करते है। दाह संस्कार करने वाले उस समय शोकाकुल रहते है। मेरा प्रस्ताव है कि मुखाग्नि देने हेतु एक निश्चित दर निर्धारित किया जाय।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दर निर्धारण हेतु दूसरे राज्यो के जैसे-वाराणसी एवं अन्य जगहों से दर की जानकारी प्राप्त कर लें एवं विचार विमर्श कर संलेख लाया जाय।

अपर नगर आयुक्त(पवर्त्तन) :- अध्यक्ष महोदया, पूर्व नगर आयुक्त साहब के द्वारा दर निर्धारण हेतु प्रयास किया गया था। निगम के सभी घाटो पर कार्य करने वाले निगम के कर्मी है। वे प्रतिदिन पंजी को संधारण करते है। लेकिन घाटो पर मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति (डोम राजा) वे निगम के नहीं है और न ही वे निगम में पंजीकृत है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रस्ताव है कि घाटो पर मुखाग्नि देने वालो को निगम में पंजीकृत किया जाय और दूसरे राज्यों की तरह मुखाग्नि देने हेतु शुल्क निर्धारित किया जाय साथ ही वन विभाग द्वारा समय पर लकड़ी उपलब्ध करायेगा या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त कर लिया जाय।

मद संख्या- 41 :- **वार्ड संख्या-44 अन्तर्गत डॉक्टर कॉलोनी में जीवक हार्ट हॉस्पिटल के दक्षिण अवस्थित पार्क का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी चंद्रमा सिंह जी के नाम से नामकरण करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी चन्द्रमा सिंह जी के नाम से नामकरण हेतु प्रस्ताव माननीय पार्षद वार्ड संख्या-44 द्वारा प्राप्त हुआ है। श्री सिंह के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र भेंट किया गया था। इसी परिपेक्ष्य में उनकी स्मृति को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु वार्ड संख्या-44 के अन्तर्गत डाक्टर्स कॉलनी में जीवक हार्ट हॉस्पिटल के दक्षिण अवस्थित पार्क का नाम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी चंद्रमा सिंह जी के नाम से नामकरण करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श /स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी चन्द्रमा सिंह जी देश की आजादी में भाग लिया उनके स्मृति एवं नाम को आम आदमी याद रख सके। इसलिए डॉक्टर्स कॉलनी अवस्थित पार्क का नामकरण का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूँ। नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या-437 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-44 अन्तर्गत डॉक्टर कॉलोनी में जीवक हार्ट हॉस्पिटल के दक्षिण अवस्थित पार्क का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी चंद्रमा सिंह जी के नाम से नामकरण करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या- 42 :- **वार्ड संख्या-44 अन्तर्गत एम0आई0जी0 अन्तर्गत स्थित पार्क(हनुमान नगर पानी टंकी के पीछे रोड जो पार्क के उतर में स्थित है, पार्क पूरब एम0आई0जी0, पार्क के दक्षिण एवं पश्चिम में रोड है) के सौन्दर्यीकरण तथा रखा-रखाव सुनिश्चित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- कंकड़बाग अंचल अन्तर्गत वार्ड संख्या-44 में पार्क के सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव का प्रस्ताव है। इस आशय का प्रस्ताव अप्राप्त है।

नगर आयुक्त :- पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव किसके द्वारा होता है। मुख्य नगर अभियंता, स्पष्ट करें।

मुख्य नगर अभियंता :- नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम के क्षेत्र के अधिकांश पार्कों वन विभाग को हस्तानान्तरण कर दिया गया है। जिसका रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। कुछ पार्क निगम क्षेत्र में है, जिसका रख-रखाव संबंधित अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।

कार्य0पदा0कंकड़बाग :- नगर आयुक्त महोदय, पार्कों के रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण के लिए अलग से कोई कर्मचारी नहीं है। वार्ड में कार्यरत सफाई मजदूरों से ही उसकी सफाई एवं रख-रखाव की जाती है।

मद संख्या- 43 :- **बेउर जेल गेट से दक्षिण स्थित श्रीराम चौक के नाम को नगर निगम में सूचीबद्ध करवाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का प्रस्ताव अप्राप्त है। समीक्षोपरान्त संलेख अगली बैठक में रखे।

मद संख्या-44 :- **दीघा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आशियाना दीघा रोड से आकाशवाणी रोड के बीच पड़ने वाली सड़क का नामकरण मुन्दर साह पथ के नाम से करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीय विधायक डॉ0 संजीव कुमार चौरसिया, दीघा विधान सभा, पटना द्वारा आशियाना दीघा रोड से आकाशवाणी रोड के बीच पड़ने वाली सड़क का नामकरण मुन्दर साह पथ के नाम से नामकरण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उक्त नामकरण के प्रस्ताव पर विचार विमर्श /स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, श्री मुन्दर साह पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद के पिता जी थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं गरीबों के हितैसी थे। उनके नाम को यादगार रखने के लिए आशियाना दीघा रोड से आकाशवाणी रोड के बीच पड़ने वाली सड़क का नामकरण मुन्दर साह पथ रखने का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-438 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दीघा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आशियाना दीघा रोड से आकाशवाणी रोड के बीच पड़ने वाली सड़क का नामकरण मुन्दर साह पथ के नाम से करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या- 45 :- **दीघा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पाटलिपुत्रा कॉलनी स्थित पार्क जिसमें स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित है का नामकरण अटल पार्क के नाम से करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पाटलिपुत्र कॉलनी स्थित पार्क जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित है, उस पार्क का नाम अटल पार्क के नाम से नामकरण हेतु माननीय विधायक डॉ0 संजीव कुमार चौरसिया, दीघा विधान सभा, पटना द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। स्व0 बाजपेयी जी को देश के प्रति अमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।

अतः उनके नाम एवं कार्यो को ध्यान में रखते हुए पाटलिपुत्र कॉलनी स्थित पार्क जिसमें स्व0 अटल बाजपेयी जी का प्रतिमा स्थापित है। उस पार्क का नाम अटल पार्क के नाम से नामकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श /स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्रीमती अनीता देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहें है। इनके नाम को यादगार बनाने के लिए पार्क नामकरण का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री कावेरी सिंह : माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-47 :- **दीघा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत न्यू पुनाईचक स्थित पार्क जिसमें दानवीर भामा शाह जी की प्रतिमा स्थापित है का नामकरण भामा शाह पार्क करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **दानवीर भामा शाह जी के नाम से पार्क का नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- माननीय विधायक डॉ0 संजीव कुमार चौरसिया, दीघा विधान सभा, पटना द्वारा न्यू पुनाईचक स्थित पार्क जिसमें दानवीर भामा शाह जी की प्रतिमा स्थापित है का नामकरण भामा शाह पार्क करने का अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है।

दानवीर, शूरवीर, वैश्य शिरोमणी भामाशाह जी विश्व के वैश्य समाज के लिए गर्व एवं बलीदान के प्रतीक थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के मुगल साम्राज्य के खिलाफ संर्घष में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। और मात्र भूमि की रक्षा के लिए अपनी सम्पूर्ण सम्पति का त्याग किया।

अतः उनके द्वारा किये गये कार्यो को ध्यान में रखते हुए न्यू पुनाईचक स्थित पार्क जिसमें दानवीर भामा शाह जी की प्रतिमा स्थापित है का नामकरण भामा शाह पार्क करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, न्यू पुनाईचक स्थित पार्क जिसमें दानवीर भामा शाह जी की प्रतिमा स्थापित है उस पार्क का नामकरण भामा शाह जी के नाम से करने का प्रस्ताव है। जिसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-441:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दीघा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत न्यू पुनाईचक स्थित पार्क जिसमें दानवीर भामा शाह जी की प्रतिमा स्थापित है का नामकरण भामा शाह पार्क करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-48 :- **आर0ब्लॉक गोलम्बर को सौन्दर्यीकरण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **आर0ब्लॉक गोलम्बर का सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करे।**

सीता साहु
महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- दिनांक-08.12.2025 को माननीया महापौर, पटना नगर निगम को सम्बोधित प्रबंधन निदेशक, होटल चाणाक्या द्वारा प्राप्त हुआ है। उन्होंने अनुरोध किया है कि आर0ब्लॉक स्थित गोलम्बर के सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव अपने खर्च पर करना चाहते है। जिसपर विमर्श/स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया,आर0ब्लॉक गोलम्बर एक प्रमुख स्थल है। जहाँ से प्रमुख व्यक्तियों का आवागमन होता है। आर0ब्लॉक गोलम्बर के चारों ओर सौन्दर्यीकरण करने पर उसकी सुन्दरता बढ़ जाएगी और देखने में काफी सुन्दर लगेगा। होटल चाणाक्या के प्रबंधक द्वारा स्वयं खर्च पर सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव करना चाहता है तो उसे सशर्त्त दिया जा सकता है कि स्थल का मालिकाना हक नगर निगम रहेगा।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, होटल चाणाक्या द्वारा आर0ब्लॉक गोलम्बर का सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव का जिम्मा अपने खर्च पर लेता है तो उसे सशर्त्त कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सं0-442 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि होटल चाणाक्या, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-01 को स्वयं अपने खर्च पर आर0ब्लॉक गोलम्बर के चारो ओर सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव हेतु सशक्त स्थायी समिति द्वारा सशर्त्त स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-

1. आर0ब्लॉक गोलम्बर का मालिकाना हक पटना नगर निगम का रहेगा।
2. आर0ब्लॉक गोलम्बर के चारो ओर का सौन्दर्यीकरण /रख-रखाव स्वयं अपने खर्च से करेंगे।
3. स्थल का उपयोग कोई वित्तीय लाभ(प्रचार-प्रसार) हेतु नहीं करेंगे।

मद संख्या-49 :- **वार्ड संख्या-52 अन्तर्गत त्रिलोकी यादव के घर से भीखम महतो के घर तक पथरी घाट चाँई टोला पाईप लाईन विस्तार के संबंध में।**

अध्यक्ष :- योजना का संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में समीक्षोपरान्त प्राक्कलन सहित संलेख उपस्थापित करें।

मद संख्या-50 :- **वार्ड संख्या-52 के अन्तर्गत बी0एन0आर0 क्वाटर के पास उच्च प्रवाही बोरिंग चाई टोला में सी0आई0पानी पाईप लाईन विस्तार के संबंध में।**

अध्यक्ष :- योजना का संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में समीक्षोपरान्त प्राक्कलन सहित संलेख उपस्थापित करें।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-439 :- <u>**सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** दीघा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पाटलिपुत्रा कॉलनी स्थित पार्क जिसमें स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित है का नामकरण अटल पार्क के नाम से करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।</u>

मद संख्या- 46 :- दीघा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत चितकोहरा पंजाबी कॉलोनी स्थित पार्क का नामकरण गुरू गोबिन्द सिंह पार्क के नाम से करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- गुरू गोबिन्द सिंह जी के नाम से पार्क का नामकरण का प्रस्ताव है,स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- नूतन राजधानी अंचल पटना नगर निगम के चितकोहरा स्थित पंजाबी कॉलनी स्थित पार्क का नामकरण गुरू गोबिन्द सिंह जी के नाम से नामकरण का प्रस्ताव माननीय विधायक डॉ0 संजीव कुमार चौरसिया, दीघा विधान सभा, पटना द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है।

श्री सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। वे सिक्खों 10वें एवं अंतिम गुरू थे। वे एक महान योद्धा, कवि, दार्शनिक महापुरूष थे। उनके द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना की गयी। स्थानीय लोगो के भावनाओं को देखते हुए चितकोहरा पंजाबी कॉलोनी स्थित पार्क का नामकरण गुरू गोबिन्द सिंह पार्क के नाम से नामकरण का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, गुरू गोबिन्द सिंह जी का नाम आज विश्व में प्रसिद्ध है। उनके नाम से पार्क नामकरण का प्रस्ताव माननीय विधायक डॉ0 संजीव कुमार चौरसिया, दीघा विधान सभा, पटना द्वारा लाया गया है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती अनीता देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, गुरू गोबिन्द सिंह जी हम सभी के प्रेरणाश्रोत एवं आर्दश है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-440 :- <u>**सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दीघा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत चितकोहरा पंजाबी कॉलोनी स्थित पार्क का नामकरण गुरू गोबिन्द सिंह पार्क के नाम से नामकरण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**</u>

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-51 :- **वार्ड संख्या-52 के अन्तर्गत विभिन्न कुल 11 स्थानों पर पाईप लाईन विस्तार के संबंध में।**

अध्यक्ष :- योजना का संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में समीक्षोपरान्त प्राक्कलन सहित संलेख उपस्थापित करें।

मद संख्या-52 :- **एम0आई0जी0 अन्तर्गत स्थित पार्क (हनुमान नगर पानी टंकी के पीछे रोड जो पार्क के उतर में स्थित है, पार्क पूरब एम0आई0जी0 पार्क के दक्षिण एवं पश्चिम में रोड है) के सुंदरीकरण तथा रख-रखाव सुनिश्चित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- योजना का संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में समीक्षोपरान्त प्राक्कलन सहित संलेख उपस्थापित करें।

मद संख्या-53 :- **वार्ड संख्या-70 में बड़ी नगला मास्टर कॉलोनी हनुमान मंदिर के पास हो रहें उच्च प्रवाही बोरिंग में सी0आई0 पाईप के विस्तार के संबंध में।**

अध्यक्ष :- योजना का संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में समीक्षोपरान्त प्राक्कलन सहित संलेख उपस्थापित करें।

मद संख्या-54 :- **वार्ड संख्या-72 के अन्तर्गत बागजाफर खाँ घाट पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण।**

अध्यक्ष :- योजना का संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में समीक्षोपरान्त प्राक्कलन सहित संलेख उपस्थापित करें।

मद संख्या-55 :- **वार्ड संख्या-72 के अन्तर्गत बागजाफर खाँ घाट स्थित जर्जर सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार के संबंध में।**

अध्यक्ष :- योजना का संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में समीक्षोपरान्त प्राक्कलन सहित संलेख उपस्थापित करें।

मद संख्या-56 :- **श्री जय प्रसाद, सेवा निवृत सहायक का सेवा अवधि विस्तार के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, नियमानुसार समीक्षा कर संलेख अगली बैठक में रखे।

मद संख्या-57 :- **जलापूर्ति अंचल में कार्यरत संवदि पम्प श्रमिकों का मानदेय वृद्धि के संबंध में।**

अध्यक्ष :- जलापूर्ति अंचल में कार्यरत संवदि पम्प श्रमिकों का मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- जलापूर्ति अंचल में 26 पम्प चालक संविदा पर कार्यरत है। इन पम्प चालकों को अतिकुशल की श्रेणी में लाया गया है। इनका मानदेय दैनिक पारिश्रमिक कर्मियों के समान मानदेय निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। कार्यालय आदेश ज्ञापांक-18564, दिनांक-29.11.2024 के द्वारा इन पम्प चालकों को अतिकुशल के श्रेणी में दैनिक कर्मियों के तरह 572/-(पाँच सौ बहत्तर)रू0 प्रतिदिन के दर से दिनांक-01.04.2024 से भुगतान किया जा रहा है। इन लोगों का भुगतान 26 दिनों के पारिश्रमिक के बराबर 14,872/-(चौदह हजार आठ सौ बहत्तर)रू0 होती है। जिस पर विमर्श /स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, ये सभी 26 पम्प चालक बुडको द्वारा हस्तानान्तरित पम्प के साथ आये है। समय समय पर निगम के दैनिक कर्मियों की तरह इनका भी मानदेय में वृद्धि की जाती है। इस बार दैनिक कर्मियों की 572/-(पाँच सौ बहत्तर)रू0 प्रतिदिन की तरह इन्हें भी 572/- प्रतिदिन देने का प्रस्ताव है। इस प्रकार 26 दिनों के पारिश्रमिक 14,872/-(चौदह हजार आठ सौ बहत्तर)रू0 होता है कि स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगम कर्मी के हित में है। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-443 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के जलापूर्ति अंचल में संविदा पर कार्यरत 26 पम्प चालकों को मासिक मानदेय 26 दिनों का पारिश्रमिक 572/-(पाँच सौ बहत्तर)रूपये प्रतिदिन की दर से 14,872 /-(चौदह हजार आठ सौ बहत्तर) रूपये प्रति माह भुगतान करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-58 :- **संयुक्त राष्ट्र की इकाई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ (UNFPA) के (No cost Extension) एकरारनामा अवधि विस्तार के संबंध में।**

अध्यक्ष :- अवधि विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम में संयुक्त राष्ट्र की इकाई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ (UNFPA) के द्वारा निगम मे कार्यरत सफाई कर्मचारियों का सशक्तिकरण एवं चहुमुखी विकास मलिन बस्तियों का विकास करना है। निगम में लगभग 6000 सफाई कर्मचारियों को विभिन्न मुद्दो पर प्रशिक्षत किया जा रहा है एवं उनके बच्चों को संगठित कर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत शौचालय, बिजली, पानी एवं सड़क से जुड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु निगम को कोई वित्तीय खर्च व्यय करना नहीं पड़ता है। इस संस्था को

दिनांक-31.12.2025 तक (No cost Extension) के तर्ज पर एकरारनामा अवधि विस्तार करने का प्रस्ताव है, जिस पर विमर्श/स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, **UNFPA** वर्ष 2018 से नगर निगम में कार्य कर रहा है। यह विशेष कर सफाई मजदूरों के रहन-सहन एवं उन्हें शिक्षित करने का कार्य करता है। इस संस्था के द्वारा जो कार्य किये जा रहें है। इसके लिए निगम को कोई वित्तीय खर्च नहीं देना पड़ता है। संस्था के द्वारा दिनांक-31.12.2025 तक (No cost Extension) के तर्ज पर एकरारनामा अवधि विस्तार करने का प्रस्ताव है। इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

श्रीमती श्वेता राय :- **UNFPA** के द्वारा निगम के सफाई कर्मियों के बीच जागरूकता, प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। जो निगमहित में है, इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-444 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र की इकाई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ (UNFPA) के (No cost Extension) एकरारनामा अवधि विस्तार दिनांक-31.12.2025 तक देने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-59 :- **कंकड़बाग वार्ड नं0-33 के पूर्वी इन्द्रानगर स्थित सुधा देवी, लेन रोड नंबर 1ए पूर्वी इन्द्रा नगर के औपचारिक नामकरण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- उक्त सड़क अशोक नगर रोड से प्रारम्भ होकर दुसाधी पकड़ी के माध्यम से 90 फीट रोड तक को जोड़ती है। जिसे व्यावहारिक तौर पर मोहल्लावासियों द्वारा ही सुधा देवी लेन रोड नंबर 1ए, पूर्वी इन्द्रा नगर से पुकारा जाता है तथा इसे स्थानीय निवासियों द्वारा विगत कई वर्षो से सुधा देवी लने, रोड नंबर 1ए पूर्वी इन्द्रा नगर नाम से संबंधित किया जा रहा है। अतः स्थानीय निवासियों के भावनाओं को देखते हुए कंकड़बाग वार्ड संख्या-33 के पूर्वी इन्द्रा नगर स्थित सड़क सुधा देवी, लेन रोड नंबर 1ए, पूर्वी इन्द्रा नगर के औपचारिक नामकरण की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कंकड़बाग वार्ड संख्या-33 के पूर्वी इन्द्रा नगर स्थित सड़क रोड, नं0 1ए जो सुधा देवी के नाम से प्रचलित है, उनके नाम से नामकरण किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, उक्त सड़क को वहाँ के नागरिकों द्वारा सुधा देवी के नाम से पुकारा जाता रहा है। अतः उनके भावनाओं को देखते हुए औपचारिक नामकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या-445 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कंकड़बाग वार्ड नं0-33 के पूर्वी इन्द्रानगर स्थित सुधा देवी, लेन रोड नंबर 1ए पूर्वी इन्द्रा नगर के औपचारिक नामकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-60 :- **पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों के अन्तर्गत अवस्थित पार्कों के संचालन व्यवस्था की जिम्मेदारी सतत् जीविकोपार्जन योजना-शहरी अन्तर्गत चयनित अत्यंत निर्धन परिवारों की महिलाओं एवं शहरी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के द्वारा संचालन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पार्क के रख-रखाव, संचालन एवं व्यवस्था का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों के अन्तर्गत अवस्थित पार्को का रख-रखाव की जिम्मेदारी जीविका समूह की महिलाओं द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है। जीविका द्वारा अत्यंत निर्धन परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण हेतु कार्यक्रम किया जा रहा है।

पटना नगर निगम क्षेत्र में पार्कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी जीविका समूह के महिलाओं को देना है।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन जीविका से प्रस्ताव है कि प्रथम चरण में 04 पार्क यथा- समादार पार्क, वार्ड संख्या-38, अरफाबाद कॉलनी पार्क, वार्ड संख्या-54, बढ़ई टोली चन्द्र बाबा अखाड़ा पार्क, वार्ड संख्या-58 एवं बड़ी पटन देवी कॉलनी पार्क, वार्ड संख्या-58 के रख-रखाव का प्रस्ताव है। पार्कों के रख-रखाव में कार्य करने वाले महिलाओं का संचालन तथा वित्तीय प्रबंधन NULM परियोजना के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/स्वीकृति हेतु रखा गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

1. जीविकोपार्जन योजना-शहरी अन्तर्गत चयनित अत्यंत निर्धन परिवारों की महिलाओं एवं शहरी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के द्वारा संचालन किया जाना है। यह महिलाओं के लिए नया स्कीम है। जिससे महिलाओं को रोजगार मिल सके। इस योजना को कैसे संचालित किया जा सकता है। सभी कार्यपालक पदाधिकारी इस पर अपना सुझाव दें।

कार्य०पदा०नू०रा०अं० :- सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत जो स्कीम है वह निर्धन महिलाओं के लिए कारगर साबित हो सकता है। अगर पार्कों का रख-रखाव शुल्क लेकर किया जा सकता है। वर्त्तमान में पार्क में सफाई कार्य नगर निगम के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है।

अपर नगर आयुक्त(पवर्तन) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पार्क के रख-रखाव के साथ पार्क को खोलने और बन्द करने का समय भी निर्धारित होना चाहिए।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव स्वागतयोग्य है, निर्धन परिवार के महिलाओं जो स्वयं सहायता से जुड़ी हुई है। वे पार्क के रख-रखाव कर सकती है। लेकिन उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निर्धन परिवार की महिलाओं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, उन्हें पार्कों के रख-रखाव के कार्य दिया जा सकता है। लेकिन पार्क को खोलने एवं बन्द करने का समय निर्धारित करते हुए, प्रवेश शुल्क का भी निर्धारण होनी चाहिए।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, शहरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पार्कों से प्रवेश शुल्क की जो वसूली होगी वह कहाँ जमा होगी। साथ ही पार्क स्थल पर स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के सुरक्षा की व्यस्था करनी होगी। यह अच्छा प्रस्ताव है, इसे पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-446 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों के अन्तर्गत अवस्थित पार्कों के संचालन व्यवस्था की जिम्मेदारी सतत् जीविकोपार्जन योजना-शहरी अन्तर्गत चयनित अत्यंत निर्धन परिवारों की महिलाओं एवं शहरी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के द्वारा संचालन करने के प्रस्ताव की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की जाती है। प्रथम चरण में रख-रखाव हेतु निम्नवत् पार्क है :-**

महापौर
पटना नगर निगम

1. समादार पार्क, वार्ड संख्या-38,
2. अरफाबाद कॉलनी पार्क, वार्ड संख्या-54,
3. बढ़ई टोली चन्द्र बाबा अखाड़ा पार्क, वार्ड संख्या-58
4. बड़ी पटन देवी कॉलनी पार्क, वार्ड संख्या-58

मद संख्या-61 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Mission Total Segregation कार्य में मोबिलाईजर के रूप में Self help groups (SHGs)की महिलाओं से पुनः कार्य करवाने के संबंध में।

अध्यक्ष :- निगम में मोबिलाईजर के रूप (SHGs)की महिलाओं से पुनः कार्य करवाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

अपर नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि SHGs की महिलाओं द्वारा पटना नगर निगम के सभी 06 अंचलों में मोबलाईजर के रूप नवम्बर 2024 से मई 2025 तक कार्य किया गया है। इनके द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य गीला कचरा, सूखा कचरा को अलग-अलग कर देने हेतु नागरिकों को जागरूक करना था। निगम के 03 अंचलों में कार्य करने वाले SHGs के ग्रुप की महिलाओं को भुगतान हो चुका है। शेष 03(तीन) अंचल में SHGs के ग्रुप की महिलाओं का भुगतान अभी बाकी है। जो जल्द कर दिया जाएगा। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, SHGs के ग्रुप की महिलाओं जिनका भुगतान अभी बाकी है, उसका भुगतान कर दिया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

अपर नगर आयुक्त(पवर्तन) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, SHGs के ग्रुप की महिलाओं के शेष बचे को भुगतान कर दिया जाएगा एवं उनकी सेवा आवश्यता अब निगम को नहीं है।

श्रीमती अनीता देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, SHGs के ग्रुप की महिलाओं द्वारा कार्य लिया गया है। तो उनका भुगतान कर दिया जाय। इस प्रस्तवा को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-447 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Mission Total Segregation कार्य के लिए Self help groups (SHGs)की महिलाओं द्वारा मोबिलाईजर के रूप में किये गये कार्य में शेष बचे हुए मोबिलाईजर को भुगतान करने की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं इनकी सेवा की आवश्यकता पटना नगर निगम को नहीं है।

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-62 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत (रोड नं0 06बी, राजेन्द्र नगर स्थित न्यायाधीश डी0पी0एस0चौधरी एवं डा0 एस0एस0चटर्जी के मकान के सामने) पार्क का नाम डा0 शारदा सिन्हा-डा0 ब्रजकिशोर सिन्हा उद्यान नाम से नामकरण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पार्क नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- विश्व विख्यात सुप्रसिद्ध लोक गायिका स्वर कोकिला पद्म विभुषण डा0 शारदा सिन्हा एवं डा0 ब्रजकिशोर सिन्हा जो पति-पत्नी थे के निधन से बिहार को क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। दोनों हस्तियों के स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं कला जगत के जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत (रोड नं0 06बी, राजेन्द्र नगर स्थित न्यायाधीश डी0पी0एस0चौधरी एवं डा0 एस0एस0चटर्जी के मकान के सामने) पार्क का नाम डा0 शारदा सिन्हा-डा0 ब्रजकिशोर सिन्हा उद्यान नाम से करने का प्रस्ताव है। जिसपर विमर्श/ स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, डा0 शारदा सिन्हा बिहार की रहने वाली थी, जो लोक गायिका थी तथा डा0 ब्रजकिशोर सिन्हा उनके पति थे। इनका नाम भविष्य के लिए यादगार रहें। इस हेतु पार्क का नामकरण इनके नाम से करने का रखा गया है। जिसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह नामकरण का प्रस्ताव है, इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या-448 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत (रोड नं0 06बी, राजेन्द्र नगर स्थित न्यायाधीश डी0पी0एस0चौधरी एवं डा0 एस0एस0चटर्जी के मकान के सामने) पार्क का नाम डा0 शारदा सिन्हा एवं डा0 ब्रजकिशोर सिन्हा उद्यान के नाम से नामकरण करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-63 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मेनहोल निर्माण /मरम्मति कार्य हेतु Manhole Ambulance का उपयोग करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- मेनहोल निर्माण /मरम्मति कार्य हेतु Manhole Ambulance का उपयोग करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मेनहोल का निर्माण /मरम्मति का कार्य मौनसून के पूर्व एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाना है। मेनहोल के निर्माण/मरम्मति में विलंब होने कारण नागरिकों द्वारा मुख्यालय में शिकायतें प्राप्त होती है। जिसके कारण पटना नगर निगम की छवि धुमिल होती है। मेन होल के निर्माण /मरम्मति कार्य को सरल बनाने हेतु Manhole Ambulance का उपयोग किया जाना है। जिससे कार्य में तेजी आएगी। Manhole Ambulance का निर्माण निगम में अन्य उपयोगी वाहनों को मरम्मति कर बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम में Manhole Ambulance का निर्माण हुआ है। लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है। उपयोग होने के बाद पता चलेगा कि Manhole Ambulance द्वारा कार्य सफल हो रहा या नहीं।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगमहित में अच्छा प्रस्ताव है, इसकी स्वीकृति दी जा सकती है। लेकिन इसका रख-रखाव/उपयोग कैसे होगा? एवं इसका भुगतान कैसे होगा? विस्तृत विवरण के साथ संलेख अगली बैठक में उपस्थापित किया जाय।

मद संख्या-64 :- पुण्यश्लोक पद्मभूषण डा0 दुखन राम की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए एक्जीबिशन रोड स्थित उनके आवास के निकट अवस्थित एक्जीविशन रोड-फ्रेजर रोड लिंक सड़क का नामकरण पदम्भूषण डा0 दुखन राम मार्ग करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- सड़क नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीया सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि डा0 दुखन राम भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डा0 राजेन्द्र प्रसाद के निजी चिकित्सक थे। डा0 राम सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक थे। उनके इस कार्य के लिए उन्हें पद्मभूषण से अंलकृत किया गया। डा0 दुखन राम के स्मृति अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए एक्जीबिशन रोड स्थित उनके आवास के निकट अवस्थित एक्जीविशन रोड-फ्रेजर रोड लिंक सड़क का नामकरण पदम्भूषण डा0 दुखन राम मार्ग करने का प्रस्ताव है। जिसपर विमर्श/स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, डा0 दुखन राम सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक थें। उनके कार्य को सभी लोग काफी सराहना करते है। उनके इस कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से अंलकृत किया गया। उनके नाम से सड़क नामकरण का प्रस्ताव है, जिसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

श्रीमती कांति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-449 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पुण्यश्लोक पद्मभूषण डा0 दुखन राम की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए एक्जीबिशन रोड स्थित उनके आवास के निकट अवस्थित एक्जीविशन रोड-फ्रेजर रोड लिंक सड़क का नामकरण पदम्भूषण डा0 दुखन राम मार्ग करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-65 :- **वार्ड संख्या-44 अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय के समीप पटना नगर निगम द्वारा निर्मित वाटिका एवं उसके सामने एस0बी0आई0 से लेकर कंकड़बाग देवी स्थान तक जाने वाली मार्ग का नाम स्व0 यदुनन्दन प्रसाद जी के नाम से नामकरण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि श्री आशीष चन्द्र यावद, माननीय पार्षद, वार्ड संख्या-44 द्वारा केन्द्रीय विद्यालय के समीप पटना नगर निगम द्वारा निर्मित वाटिका एवं उसके सामने एस0बी0आई0 से लेकर कंकड़बाग देवी स्थान तक जाने वाली मार्ग का नाम स्व0 यदुनन्दन प्रसाद जी के नाम से नामकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। स्व0 प्रसाद बिहार विधान पर्षद, सचिवालय में अवर सचिव के पद से सेवा निवृत हुए थे एवं वे एक सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। जिनके नाम पर सड़क नामकरण का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्व0 प्रसाद सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, वे अपने क्षेत्र के जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे। इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

सीता साहु
महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-450 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-44 अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय के समीप पटना नगर निगम द्वारा निर्मित वाटिका एवं उसके सामने एस0बी0आई0 से लेकर कंकड़बाग देवी स्थान तक जाने वाली मार्ग का नाम स्व0 यदुनन्दन प्रसाद जी के नाम से नामकरण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-66 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत रोड नं0-06, राजेन्द्र नगर सुपर स्पेशिलिटी नेत्र अस्पताल से लेकर सुप्रसिद्व ज्योतिषाचार्य पुण्यश्लोक प0 रामलोचन पाण्डेय के घर के कोने तक सड़क का नाम डा0 ब्रजकिशोर सिन्हा मार्ग के नामकरण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- विश्व विख्यात सुप्रसिद्ध लोक गायिका स्वर कोकिला पद्म विभुषण डा0 शारदा सिन्हा एवं बिहार प्रदेश के महान विभुति शिक्षाविद् पुण्यश्लोक डा0 ब्रजकिशोर सिन्हा दोनों पति-पत्नी के निधन की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। ऐसे दोनो हस्तियों के स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं कला जगत के जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके पटना स्थित आवास के सड़क, रोड नं0-06, राजेन्द्र नगर सुपर स्पेशिलिटी नेत्र अस्पताल से लेकर सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पुण्यश्लोक प0 रमलोचन पाण्डेय के घर के कोने तक सड़क का नाम डा0 शारदा सिन्हा-डॉ ब्रजकिशोर सिन्हा मार्ग के नाम से नामकरण करने की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति से विमर्श/स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, डा0 शारदा सिन्हा बिहार की रहने वाली थी, जो लोक गायिका थी तथा डा0 ब्रजकिशोर सिन्हा उनके पति थे। इनका नाम भविष्य के लिए यादगार रहें। इस हेतु सड़क का नामकरण इनके नाम से करने का रखा गया है। जिसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह नामकरण का प्रस्ताव है, इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-451 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत रोड नं0-06, राजेन्द्र नगर सुपर स्पेशिलिटी नेत्र अस्पताल से लेकर सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पुण्यश्लोक प0 रामलोचन पाण्डेय के घर के कोने तक सड़क का नाम डा0 ब्रजकिशोर सिन्हा मार्ग के नाम से नामकरण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-67 :- **आर्यकुमार रोड महाराणा प्रताप के उत्तर स्थित निगम के खाली भूखण्ड को किराये पर आवंटन हेतु विमर्श के संबंध में।**

अध्यक्ष :- खाली भूखण्ड को किराये पर आवंटन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आर्यकुमार रोड महाराणा प्रताप के उत्तर स्थित निगम के खाली भूखण्ड पर अस्थायी तौर पर महापर्व दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बच्चों के मनोरंजन के लिये झूला एवं खान-पान स्टॉल लगाने हेतु अमरूदी मुहल्ला, ब्यॉज क्लब वेलफेयर सोसाईटी के द्वारा 3000 वर्गफीट पर दिनांक-28.09.2025 से 02.10.2025 तक किराये पर स्थल आवंटित करने हेतु पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, बॉकीपुर अंचल द्वारा स्थल जाँच कर प्रतिवेदन उलब्ध कराया गया है, जिसके आलोक अघनोत्तर स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर उक्त भूखंड पर बच्चों के मनोरंजन एवं खान-पान हेतु अस्थायी तौर पर स्टॉल लगाने के लिए भूखंड आवंटन की जाती है। जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती अनीता देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-452 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आर्यकुमार रोड महाराणा प्रताप भवन के उत्तर स्थित निगम के खाली भूखण्ड पर दुर्गा पूजा के अवसर पर राजस्व हित में ब्यॉज क्लब वेलफेयर सोसाईटी, अमरूदी गली, पटना को दिनांक-28.09.2025 से 02.10.2025 तक किराये पर 3000 वर्गफीट स्थल आवंटित करने के घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-68 :- **बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1538, दिनांक-18 सितम्बर, 2025 द्वारा बिहार नगरपालिका सम्मपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली)नियमावली, 2013 के नियम 4 के गुणक तालिका में संशोधित अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- बिहार नगरपालिका सम्मपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली)नियमावली, 2013 के नियम 4 के गुणक तालिका में संशोधित अधिसूचना के अनुपालन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-813, दिनांक-06 अक्टुबर 2023 द्वारा बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली)नियमावली, 2013 के नियम 4 का प्रावधान लागू किये जाने को निदेशित किया गया था। जिसके आलोक में पटना नगर निगम कार्यालय का पत्रांक-2092, दिनांक-27.01.2024 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के अधिसूचना ज्ञापांक-5509, दिनांक-26.09.2023 द्वारा सशक्त स्थायी समिति /निगम पर्षद में निर्णय हेतु प्रेषित किया गया था। पटना नगर निगम के निगम पर्षद की 08वीं साधारण बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ''गैर आवासीय संपत्ति कर के निर्धारण के लिए वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण के संबंध में सरकार को अनुशंसा भेजा गया है, जो अभी तक अप्राप्त है, सरकार से आदेश प्राप्त होने के बाद इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार द्वारा पुनः बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1538, दिनांक-18 सितम्बर, 2025 द्वारा बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली)नियमावली, 2013 के नियम 4 के गुणक तालिका में संशोधित कर अनुपालन हेतु नगरपालिका को प्रेषित किया गया है। जिसपर विमर्श/स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार:- माननीया अध्यक्ष महोदया, नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 13 का प्रस्ताव पटना नगर निगम की निगम पर्षद 08वीं साधाण बैठक में प्रस्ताव लाया गया था। जिसमें दर में संशोधन का प्रस्ताव था। बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1538, दिनांक-18.09.2025 द्वारा 2 एवं 1.5 गुणा कर में संशोधन कर भेजा गया है। जिसके अनुपालन हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। यह प्रस्ताव निगमहित में इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सरकार ने गजट के द्वारा दर में संशोधन किया गया है। जिसकी स्वीकृति दिया जा सकता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम के आय में वृद्धि को देखते हुए प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-453 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1538, दिनांक-18 सितम्बर, 2025 द्वारा बिहार नगरपालिका सम्मपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली)नियमावली, 2013 के नियम 4 के गुणक तालिका में संशोधित अधिसूचना के अनुसार कर वसूली के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जो निम्ववत् है :-**

क्र0	गैर-आवासीय कर के प्रकार	गुणक
i	होटल, हेल्थ क्लब, जिमनाजियम, क्लब, एवं विवाह-हॉल	2
ii	कुटीर उद्योग, दुकान(500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले) एवं गोदाम (1000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले)	1
iii	दुकान (ii के अतिरिक्त), शो-रूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां, अतिथिशाला, गोदाम(1000-3000 वर्ग फीट तक क्षेत्रफल वाले)	1.5
iv	नर्सिंग होम, क्लिनिक, औषधालय, प्रयोगशाला(डायग्नोस्टिक सेंटर)	1.5
v	वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियों के कार्यालय, बैंक एवं निजी अस्पताल	2
vi	उद्योग(कुटीर उद्योग से भिन्न), कार्याशाला, गोदाम(3000 वर्गफीट से अधिक वाले), वेयर हाउस।	2
vii	राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यक, व्यावसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं।	2
viii	सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेज, गाईडेंस एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं उनके छात्रावास	1.5
ix	राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान या उपक्रम नहीं है।	1
x	निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षिक संस्थान एवं उनके छात्रावास।	1.5
xi	सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केन्द्र एवं संस्थाएँ	0
xii	निर्धन, शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं तथा बच्चों के लाभार्थ पूर्त न्यासों न लाभ–हानि के आधार पर संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान।	1
xiii	(i) से (x) तक के अधीन अनाच्छादित कोई अन्य धृति	1.5

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

यह अधिसूचना राजकीय गजट में प्रकाशन के तिथि से संशोधन दर लागू होगा।

मद संख्या-69 :- **बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1594, दिनांक-6 अक्टूबर 2025 द्वारा अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना 2025 का अनुपालन हेतु विमर्श करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नागरिकों को सम्पत्ति कर में ब्याज एवं छुट का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1594, दिनांक-06 अक्टुबर 2025 द्वारा बिहार नगरपालिका सम्मत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति छूट) योजना 2025 अधिसूचित की गई है, इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं उसके पूर्व के बकाये सम्पत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करने पर पूर्व के सभी लॅबित सम्पति कर के ब्याज की राशि एवं शास्ति को माफ किये जाने का प्रावधान है एवं यह योजना से लाभान्वित होने की तिथि 31.03.2026 तक है। जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, जो स्वागत योग्य है। नागरिको द्वारा बकाये सम्पत्ति एक मुश्त(OTS) भुगतान करने पर पूर्व से लगाये गए दण्ड एवं ब्याज माफ कर दिया जायेगा। जिससे आम नागरिकों लाभ होगा। यह योजना दिनांक-31.03.2026 तक लागू रहेगी।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित एवं निगमहित में है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बकाये सम्पत्ति कर का एक मुश्त भुगतान दिनांक-31.03.2026 तक करने पर गृहस्वामियों को दण्ड एवं ब्याज से छुट माफ कर दिया जायेगा। यह अच्छा प्रस्ताव है। इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-454 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार गजट के असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1594, दिनांक-6 अक्टूबर 2025 द्वारा अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना 2025 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं उसके पूर्व के सम्पत्ति कर के बकाये एक मुश्त(OTS) भुगतान करने पर सम्पत्ति करधारकों को दण्ड एवं ब्याज से छुट देने प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

मद संख्या-70 :- **संपत्ति कर निर्धारण हेतु पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सड़कों के पुनर्वर्गीकरण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सड़कों के पुनर्वर्गीकरण प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत संपत्ति कर निर्धारण हेतु सड़कों के पुनवर्गीकरण संबंधित प्रस्ताव निगम पर्षद की 18वीं साधारण बैठक दिनांक-14.11.2019 एवं 15.11.2019 में प्रस्ताव संख्या-134 के द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने के उपरान्त निगम कार्यालय के पत्रांक-18556, दिनांक-19.11.2024, पत्रांक-11623, दिनांक-19.09.2023, पत्रांक-00227, दिनांक-04.01.2020 एवं पत्रांक-27.07.2019 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना बिहार से स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में अपर निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के पत्रांक-1363, दिनांक-19.05.2025 के द्वारा अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया गया है।

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली नियमावली, 2013 के नियम 3 के अन्तर्गत नगरपालिका सड़क वर्गीकरण की अंतिम प्रभावी तिथि से हरेक पॉच वर्षो पर नगरपालिका क्षेत्र की सड़कों के वर्गीकरण को अद्यतन करेंगी और प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क के साथ-साथ अन्य सड़कों की ऐंसी पुनरीक्षित सूची नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अनुमोदनोंपरान्त प्रकाशित करेंगी। बिहार नगरपालिका अधिनिमय,2007 की धारा -127 (5) में अंकित है कि राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरान्त, नगरपालिका समय-समय पर प्रधान मुख्य सड़कों के साथ-साथ मुख्य सड़कों की सूची प्रकाशित कर सकती है और यदि अवाश्यक हो तो उस सूची को संशोधित भी कर सकती है। जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है। अतः प्रस्ताव पर निर्णय/स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम क्षेत्र में सड़कों का वर्गीकरण कई वर्षो से नहीं हुआ है। जिसके कारण निगम को आर्थिक क्षति हो रहा है। जबकि 2019 से सड़कों के वर्गीकरण का प्रस्ताव सरकार में लंबित था। सरकार के पत्रांक-1363, दिनांक-19.05.2025 द्वारा सड़कों के वर्गीकरण यथा-प्रधान मुख्य सड़क एवं मुख्य सड़क की स्वीकृति देते हुए सड़कों की सूची उपलब्ध कराया गया है। जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति पूर्व में दी चुकी है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-455 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संपत्ति कर निर्धारण हेतु पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रधान सड़क एवं मुख्य सड़कों के पुनर्वर्गीकरण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। सड़कों का वर्गीकरण निम्नवत् है :-**

प्रधान मुख्य सड़कों का नाम

क्रमांक	प्रधान मुख्य सड़क	सीमा बिन्दु
1	अशोक राजपथ	पश्चिम में नगर निगम सीमा से पूरब दीदारगंज तीन मुहानी तक
2.	राजेन्द्र पथ	चिरैयाँटाड पुल चौराहा से राजधानी मार्केट बारी पथ तक
3.	गाँधी मैदान के चारों ओर का मार्ग	
4.	एक्जीबिशन रोड	चिरैयाँटाड ओवर ब्रिज से गाँधी मैदान तक
5.	फ्रेजर रोड	स्टेशन गोलंबर से गाँधी मैदान तक
6.	डाकबंगला रोड	कोतवाली से एक्जीबिशन रोड
7.	भट्टाचार्य रोड	एक्जीबिशन रोड से राजेन्द्र पथ तक
8.	बेली रोड	कोतवाली थाना से पश्चिम नगर निगम सीमा तक
9.	खगौल रोड	मीठापुर चौराहा से पश्चिम तरफ नगर निगम सीमा तक
10.	स्टेशन रोड	चिरैयाँटाड पुल से रेवले जक्शन पुल तक
11.	हार्डिंग रोड	स्टेशन रोड गोलम्बर से चितकोहरा ओवर ब्रिज तक
12.	न्यू बाईबास रोड	खगौल रोड अनीसाबाद प्वाईट से दीदारगंज चेक पोस्ट तक
13.	बुद्ध मार्ग	जी0पी0ओ0 गोलम्बर से लोदीपुर अशोक राज पथ तक
14.	वीरचंद पटेल पथ	हार्डिंग रोड से बेली रोड तक
15.	बोरिंग रोड	बेली रोड से नगर निगम सीमा तक
16.	बोरिंग कैनाल रोड	बेली रोड से अशोक राजपथ, राजापुर पुल तक एवं पूर्वी एवं पश्चिम भाग
17.	एस0पी0वर्मा रोड	डाक बंगला रोड से फ्रेजर रोड तक

महापौर

18.	कंकड़बाग पुराना बाईपास	चिरैयाटाँड पुल से पहाड़ी नया बाईपास तीन मुहानी तक
19.	अब्दुल बारी पथ	गाँधी मैदान अपना बाजार से गाँधी चौक तक
20.	रामकृष्ण एवेन्यु (नाला रोड)	राजेन्द्र पथ पाटलिपुत्र टाईम्स से प्रेमचंद गोलबंर तक
21.	आर्य कुमार रोड	अब्दुल बारी पथ केडेजी स्वीट्स से राजेन्द्र नगर पुल के प्रारंभ बिन्दु तक
22.	मुसल्लपुर रोड(रामवृक्ष बेनीपुरी पथ)	भिखना पहाड़ी मोड़ से मुसल्लपुर कब्रिस्तान तक
23.	गांधी सेतु रोड	गांधी सेतु से दक्षिण नया बाईपास तीन मोहाना होते हुए पहाड़ी तक
24.	शेरशाह पथ	ननमुहिया से पश्चिम दरवाजा तक
25.	बाकरगंज बजाज रोड	अशोक राजपथ से बारी पथ तक
26.	बुद्धमार्ग से हिन्दुस्तान टाइम्स से हार्डिंग रोड स्टेशन के समीप तक एवं इससे संबंधित अन्य सड़के हो हार्डिंग रोड को मिलाता है।	....
27.	अनुग्रह नारायण पथ	राजेन्द्र पथ धन्वंतरी चौक से कांग्रेस मैदान तक
28.	आशियाना दीघा रोड	बेली रोड से आशियाना नगर के सामने तक
29.	चिरैयाँटाड इंग्लिश रोड	आवेर ब्रीज से पोस्टल पार्क चौराहा तक
30.	कांग्रेस मैदान पथ	नाला रोड से पृथ्वी राज पंच मोड़ तक (महात्मा गांधी उच्च विद्यालय तक)
31.	गोलघर पार्क रोड	अशोक राजपथ से बैंक रोड का सम्पर्क पथ
32.	हनुमान नगर रोड	केन्द्रिय विद्यालय से एम0आई0जी0 कॉलोनी तक
33.	करबिगहिया रोड	चिरैयाँटाड ओवर ब्रिज से पोस्टल गया लाइन गुमटी से होते हुए मेन रेलवे लाइन गुमटी तक
34.	किदवईपुरी रोड	बेली रोड, जे0पी0 गोलंबर से कृष्णा नगर तक
35.	मथुरा सिन्हा प्रसाद पथ	राजेन्द्र पथ के गणेश पाठशाला से कांग्रेस मैदान से पुराना डाकघर तक
36.	नया सड़क रोड(गुरू गोबिन्द सिंह पथ)	अशोक राजपथ, सिटी चौक से सिटी रेलवे स्टेशन तक
37.	नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रोड	पुराना बाईपास रोड पर अगमकुआँ रेलवे क्रासिंग से दन्त महाविद्यालय तक
38.	नवल किशोर पथ	राजेन्द्र पथ के सब्जी मंडी से दलदली रोड तक
39.	रामपुर रोड	सैदपुर मेन ड्रेन से कदमकुआँ थाना तक
40.	सहदेव मार्ग	बोरिंग कैनाल रोड से श्री कृष्णापुरी होते हुए बोरिंग रोड
41.	सैदपुर रोड	अब्दुल बारी पथ से बहादुरपुर गुमटी
42.	सिन्हा लाईब्रेरी रोड	फ्रेजर रोड से एल0आई0सी0 भवन तक का पथ
43.	विद्यापति मार्ग	बेली रोड से चीना कोठी तक

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

मुख्य सड़कों का नाम

1	बकरगंज दलदली रोड	बरी पथ उमा सिनेमा राजेन्द्रपथ तक
2	द्वारिका नाथ रोड	एक्जीविशन रोड से दलदली रोड तक
3	कंकड़बाग पथ सं.-1	कंकड़बाग रोड बाईपास से चित्रगुप्त नगर रोड-मोड़ तक
4	कंकड़बाग पथ सं.-2	कंकड़बाग पथ सं.-1 से टेम्पू स्टैंड तक
5	कंकड़बाग कॉलोनी के अन्तर्गत	राजेन्द्र नगर ओवर ब्रिज से दक्षिण में हनुमान नगर तक दोनों तरफ का रोड
6	चांदमारी रोड	कंकड़बाग पुराना बाईपास से चांदमारी रोड पम्प हाउस तक
7	गाँधी पथ	गेरेयामठसेजक्कनपुरडी.भी.सी. तक
8	गया लाईन गुमटी में सिपारा गुमटी तक का रोड	जो रेलवे लाईन के समानान्तर है।
9	बैंक रोड	गांधी मैदानबिस्कोमानभवनसेलोदीपुरबुधमार्गतक
10	जमाल रोड	डाकबंगला रोड से स्टेशन रोड तक
11	गौरेया टोली रोड	स्टेशन रोड से शांति भवन तक
12	गौरेयाटोलीपथ	स्टेशन गौरेया टोली रोड से ओवरब्रीज पश्चिम जंक्शन से रेलवे लाईन तक
13	डी. लालसंस के बगलसेहोटलअमर	फ्रेजर रोड से होटल अमर तक
14	हार्डिंग रोड से समानान्तर न्यू मार्केट के अन्दर का रोड एवं हार्डिंग रोड के दोनों तरफ के सभी संपर्क पथ	
15	गुरूद्वारा रोड	फ्रेजर रोड मेघदूत होटल से गुरू द्वारा तक
16	एस.पी. वर्मारोडसेसंबंध पथ	डॉ. अशरू के मकान से अंत तक का सड़क
17	फ्रेजर रोड से जीवन बीमा निगम के दक्षिण के सड़क पश्चिम में सिन्हा लाईब्रेरी तक जाती है।	
18	सम्राट होटल, फ्रेजर रोड के बगल का पथ बन्दर बगीचा होते हुए डाकबंगला रोड तक जाती है का पथ एवं इससे जुड़े पथ	
19	डॉ० गुहापथ	न्यू डाकबंगला रोड से एक्जीविशन रोड तक एवं उसके अंतर्गत के सड़क
20	हीरा पैलेस के पश्चिम का पथ	डाक बंगला रोड से सिन्हा लाईब्रेरी तक
21	कोतवाली थाना के पीछे का पथ	कोतवाली थाना से सिन्हा लाइब्रेरी तक

सीता साहु
महापौर
पटना नगर निगम

22	स्टेशन रोड पर अग्रवाल वस्त्र कुटीर से आनन्द लोक होटल का पथ	
23	एक्जीवीशन रोड से मिथिला मोटर तक का सड़क पश्चिम अंत तक	
24	स्टेशन रोड से उतर की ओर कृष्णा मार्केट रोड अंत तक	
25	राजा मार्केट पथ	स्टेशन रोड से एक्जीविशन रोड तक
26	नेमा प्लेस रोड	एक्जीविशन रोड से नेमा पैलेस रोड तक
27	कुल्हरिया हाउस पथ	एक्जीविशन रोड से कुल्हरिया हाउस तक
28	विक्रम होटल के उत्तर से पूरब जाता सड़क जायसवाल हाउस तक एवं इससे संबंधित पथ	
29	अहलुवालिया ट्रेडिंग से सटे उत्तर पश्चिम जाती सड़क	
30	एस.पी.वर्मा रोड से पूरब जाती सड़क जिसमें इंडियन लेबोरेट्रिज का कार्यालय है।	
31	चंदनी चौक का दोनों तरफ का रास्ता	फ्रेजर रोड से जाकर पुनः फ्रेजर रोड निकलती है।
32	कंकड़बाग पुराना बाईपास से बहाई भवन से पश्चिम से जाती सड़क कंकड़बागपथ सं.-1 को जोड़ने वाला पथ	
33	कंकड़बाग पुराना बाईपास से तिवारी बेचर के पूर्व से जाती सड़क कंकड़बाग पथ सं0-1 को जोड़ने वाली पथ एवं कंकड़बाग के जे. सेक्टर विजय मार्केट के पश्चिम की ओर जाती सड़क रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय तक तथा इससे संबंधित उतर की ओर जाती सड़के	
34	बिरला मंदिर रोड (डा. दामोदर प्र0 पथ)	बाँकीपुर डाक घर से हथुआ मार्केट पथ तक
35	गोविन्द मित्रा रोड	पी.एम.सी.एच. सेबारीपथ
36	मखनियाँ कुआँ रोड	तथैव
37	डा0 विधान चंद राय पथ(खंजाची रोड)	खुदाबक्श पुस्कालय से बारी पथ स्थित गजा घर मंदिर तक
38	भिखन दास ठाकुरबाड़ी रोड	आम्रपाली होटल, राजेन्द पथ से हथुआ मार्केट,

सीता साहू
महापौर

		बारी पथ
39	पृथ्वी राज चौराहा	राजेन्द्र नगर पुल से क्रांग्रेस मैदान पथ तक
40	सब्जीबाग ,दरियापुर	लंगर टोली, बारी पथ से सब्जीबाग रोड तक
41	चित्रगुप्त नगर रोड	बाईपास रोड से पी0आई0टी0 कोलनी तक
42	लोहिया नगर डिफेंस कॉलनी कंकड़बाग रोड	डिफेंस कॉलनी से बोगीपुर पम्प हाउस तक कि दोनों सड़क एवं पम्प हाउस से एल0आई0जी0 तक की
43	महात्मा गॉधी रोड	पुराना बाईपास कॉटी फैक्ट्री से अवच अपार्टेमेंट रोड तक
44	बी0एम0 दास रोड	खंजाची रोड तिनमोहानी से रमना रोड तक
45	एनीबेसेंट रोड	अशोक राज पथ, पटना कॉलेज मुख्य द्वार से बी0एम0दास से मनोरमा विद्यापीठ तक
46	कुनकुन सिंह लेन	अशोक राज पथ, इलाहाबाद बैंक से अब्दुल बारी पथ कब्रिस्तान तक
47	संदलपुर रोड	मोहम्मदपुर कब्रिस्तान से कुम्हरार गुमटी तक शनिचरा अखाड़ा होकर
48	रमना रोड	अशोक राज पथ से बारी पथ तक
49	दरगाह रोड	पत्थर के मस्जिद से बनवारी चौक तक
50	जनक किशोर रोड	राजेन्द्र पथ से साहित्य सम्मेलन से दलदली रोड तक
51	नबाब बहादुर रोड	अशोक राज पथ सुदर्शन पथ तक
52	मोर्चा रोड	अशोक राज पथ से पटना सिटी तक
53	मसूरगंज लेन	अशोक राज पथ से मंसूरगंज मंडी तक की गली
54	खाजेकला घाट	अशोक राज पथ से गंगा घाट तक
55	रामबाग लेन	अशोक राज पथ से गंगा घाट तक
56	चमडोरिया रोड	अशोक राज पथ
57	कुम्हरार संदलपुर रोड	पुराना बाईपास से दरगाह रोड तक
58	गुलजारबाग स्टेशन रोड	शेरशाह पथ से गुलजारबाग स्टेशन तक
59	सदर गली रोड	अशोक राज पथ से सुदर्शन पथ तक
60	मारूफगंज रोड	अशोक राज पथ से मारूफगंज मंडी तक
61	मच्छरहट्टा गली रोड	अशोक राज पथ से कैलाश मंदिर तक
62	तुलसी मंडी रोड	पुराना बाईपास पर रेलवे क्रासिंग से गुलजारबाग टेम्पु स्टैंड तक
63	बिस्कोमान सड़क	अशोक राज पथ से बिस्कोमान कॉलनी होते हुए कुम्हरार गुमटी
64	हाजीगंज रोड	अशोक राज पथ से प्रदीप लैम्प के मालिक के घर तक

65	पटना घाट रोड	अशोक राज पथ पर मालसलामी रेवले क्रांसिग से पीरदमरिया तक
66	सिटी हॉस्पीटल रोड	अशोक राज पथ सिटी हॉस्पीटल तक
67	चिमनी घाट रोड	अशोक राजपथ से चौक थाना होते हुए गंगाघाट तक
68	हरिमंदिर गली	अशोक राजपथ पर सम्पूर्ण मंदिर गली
69	सुदर्शन पथ	गुलजारबाग स्टेशन से शिकारपुर तक

मद संख्या-71 :- IGIMS को अनुग्रह राशि भुगतान के संबंध में।

अध्यक्ष :- **IGIMS को अनुग्रह राशि भुगतान करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (IGIMS) पटना में दिनांक-28 से 30 अक्टूबर 2025 तक वार्षिक महाविद्यालय उत्सव "CEREBREXIA'25" कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में भी पटना नगर निगम द्वारा 4,00,000/-रू0 योगदान CEREBREXIA College Fest कार्यक्रम में दिया गया था। पुन: 2025 में IGIMS को CEREBREXIA College Fest को Zero Waste Event बनाने हेतु एवं प्रचार-प्रसार के लिए Associate Sponsor को 4,00,000/-(चार लाख)रू0 भुगतान करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के प्रत्याशा में दिनांक-27.11.2025 को स्वीकृति दी गयी है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पिछले वर्ष भी IGIMS को भुगतान किया गया है। उनके द्वारा स्वच्छता से संबंधित प्रचार-प्रसार किया जाता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

श्रीमती कावेरी सिंह:- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

श्रीमती कांति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 456 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम द्वारा "CEREBREXIA'25" Under garbage free city program के तहत प्रचार-प्रसार हेतु Associate Sponsor को 4,00,000/-(चार लाख)रू0 IGIMS को 4,00,000 अनुग्रह राशि भुगतान करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-72 :- जलापूर्ति शाखा में कार्यरत पम्प चालकों की सेवा अवधि विस्तार के संबंध में।

अध्यक्ष :- पम्प चालकों की सेवा अवधि विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीया सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि निगम में 26 पम्प श्रमिकों को संविदा के आधार पर रखा गया है। ये सभी पम्प श्रमिक वर्षो से कार्य करते आ रहें है। तत्काल उनके बिना जलापूर्ति का कार्य सुचारू रूप से चलना संभव नहीं है। 26 संविदा पम्प श्रमिकों का संविदा अवधि दिनांक-01.10.2025 को पुरी हो चुकी है एवं एक श्रमिक 60 वर्ष की आयु पुरी करने पर सेवा निवृत हो चुके है। कार्यपालक पदाधिकारी जलापूर्ति, शाखा पटना नगर निगम द्वारा 25 संविदा पम्प श्रमिकों का दिनांक-01.10.2025 से एक वर्ष के लिए संविदा अवधि विस्तार हेतु अनुशंसा की गयी है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है। संविदा अवधि विस्तार पर निर्णय /स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बुडको के द्वारा 28 पम्प निगम को हस्तानान्तरित किया गया था। जिसपर 28 पम्प चालक संविदा पर कार्यरत थे। उनकी सेवा एक वर्ष के लिए संविदा पर प्रत्येक वर्ष विस्तार की जाती है। ये सभी पम्प चालक के रूप में निगम संविदा पर कार्यरत है। इनकी सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया , उन 28 पम्प चालाकों में से तीन पम्प चालक सेवा निवृत हो चुके है। अब मात्र 25 पम्प चालक संविदा पर कार्यरत है। जिनका दिनांक-01.10.2025 से 30.09.2026 तक एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-457 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के जलापूर्ति शाखा में कार्यरत 25 संविदा पम्प चालकों(श्रमिकों) की सेवा दिनांक-01.10.2025 के प्रभाव से 30.09.2026 तक एक वर्ष के लिए सेवा अवधि विस्तार के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-73 :- **माननीया महापौर एवं उप-महापौर द्वारा निगम क्षेत्र में भ्रमण के दौरान माननीय पार्षदों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभिन्न योजनाओं पर कार्रवाई करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इन योजनाओं का संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में रखें।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री बिनोद कुमार :- नगर आयुक्त महोदय, माननीया महापौर एवं उप-महापौर महोदया के द्वारा निगम क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आमजनों एवं माननीय पार्षदों के प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभिन्न योजनाओं पर कार्रवाई करना अतिआवश्यक है। संबंधित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर संलेख मुख्यालय को भेजा जा चुका है, जिसपर आपकी स्वीकृति के बाद बैठक में उपस्थापित करना है।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम योजनाओं के संबंध में स्पष्ट करें।

मुख्य नगर अभि0 :- क्रमांक -01 से 146 तक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु माननीय पार्षदों से अनुशंसा प्राप्त है, जो माननीया महापौर द्वारा अनुशंसित है। इन सभी योजनाओं का संलेख का प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा चुका है, स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संलेख अगली बैठक में उपस्थापित किया जाएगा।

अपर नगर आयुक्त(पवर्तन) :- मुख्य नगर अभियन्ता प्राक्कलन सहित संलेख पर स्वीकृति के बाद अगली बैठक में रखें।

अ0मद0सं0 :-01 :- **सशक्त स्थायी समिति की चतुर्थ विशेष बैठक(बजट 2025-26) की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

अध्यक्ष :- कार्यवाही अप्राप्त है। सम्पुष्टि हेतु अगली बैठक में रखें।

अ0मद0सं0 :-02 :- **वार्ड संख्या-31 में पोस्टल पार्क चौराहा के निकट कपूर जी के मकान से पोस्टल पार्क मेन रोड तक भूगर्भ एवं नाला पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।**

अध्यक्ष :- संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में रखें।

अ0मद0सं -03 :- **मछुआटोली, नजदीक-महाराणा प्रताप भवन, पटना में जो खाली 100 X 100 फीट परती जमीन में क्राफ्ट एवं उलेन बाजार लगाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- क्राफ्ट एवं उलेन बाजार लगाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री बिनोद कुमार :- नगर आयुक्त महोदय, माननीया महापौर एवं उप-महापौर महोदया के द्वारा निगम क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आमजनों एवं माननीय पार्षदों के प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभिन्न योजनाओं पर कार्रवाई करना अतिआवश्यक है। संबंधित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर संलेख मुख्यालय को भेजा जा चुका है, जिसपर आपकी स्वीकृति के बाद बैठक में उपस्थापित करना है।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम योजनाओं के संबंध में स्पष्ट करें।

मुख्य नगर अभि0 :- क्रमांक -01 से 146 तक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु माननीय पार्षदों से अनुशंसा प्राप्त है, जो माननीया महापौर द्वारा अनुशंसित है। इन सभी योजनाओं का संलेख का प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा चुका है, स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संलेख अगली बैठक में उपस्थापित किया जाएगा।

अपर नगर आयुक्त(पवर्तन) :- मुख्य नगर अभियन्ता प्राक्कलन सहित संलेख पर स्वीकृति के बाद अगली बैठक में रखें।

अ0मद0सं0 :-01 :- सशक्त स्थायी समिति की चतुर्थ विशेष बैठक(बजट 2025-26) की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

अध्यक्ष :- कार्यवाही अप्राप्त है। सम्पुष्टि हेतु अगली बैठक में रखें।

अ0मद0सं0 :-02 :- वार्ड संख्या-31 में पोस्टल पार्क चौराहा के निकट कपूर जी के मकान से पोस्टल पार्क मेन रोड तक भूगर्भ एवं नाला पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।

अध्यक्ष :- संलेख अप्राप्त है, अगली बैठक में रखें।

अ0मद0सं -03 :- मछुआटोली, नजदीक-महाराणा प्रताप भवन, पटना में जो खाली 100 X 100 फीट परती जमीन में क्राफ्ट एवं उलेन बाजार लगाने के संबंध में।

अध्यक्ष :- क्राफ्ट एवं उलेन बाजार लगाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- श्री संजीव कुमार क्राफ्ट एण्ड ट्रेड प्रमोशन सोसाइटी के आवेदन पत्र को कार्यपालक पदाधिकारी, बॉकीपुर अंचल के पत्रांक-2025, दिनांक-13.12.2025 के द्वारा क्राफ्ट एवं उलेन बाजार लगाने हेतु स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में मछूआ टोली स्थित परती जमीन 100 X 100 फीट में क्राफ्ट एवं उलेन बाजार जिसमें छोटे उद्यामिक एवं महिलाओं द्वारा बनाये गये सामग्री बिक्री हेतु बाजार लगाना है एवं बच्चों के मनोरंजन के लिए झुला आदि की व्यवस्था करनी है।

नगरपालिका प्रशासन निदेशालय का पत्रांक-481, दिनांक-21.02.2022 के द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 104 के प्रावधानों के तहत नगरपालिका के अधीनस्थ किसी सम्पत्ति को भाड़े, किराये पर आवंटन अथवा लीज पर दिए जाने के पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। विभागीय दिशा-निर्देश पर विमर्श /स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मछुआ टोली स्थित निगम भूखंड पर मॉल बनाने का प्रस्ताव कई वर्षो से लंबित है। मॉल का पाईलिंग भी हो चुका है। लेकिन आज तक वहाँ मॉल नहीं बना है। वर्त्तमान समय में जमीन परती है। उस परती जमीन पर दिनांक-14.12.2025 से 14.01.2026 तक क्राफ्ट एवं उलेन बाजार लगाने का प्रस्ताव है, जो निगमहित में है। नियमानुसार राजस्व की भी वसूली के साथ इसकी स्वीकृति दी जा सकती है। समय सीमा समाप्ति के बाद कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल को हटाने का निदेश दिया जा सकता है। इसे पारित किया जा सकता है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निमम की परती जमीन है, अगर दिया जाता है तो निगम को कुछ राजस्व की प्राप्ति होगी। मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ इसे पारित किया जा सकता है।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-459 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री संजीव कुमार क्राफ्ट एण्ड ट्रेड प्रमोशन सोसाइटी को मछुआ टोली स्थित परती जमीन 100 X 100 फीट में क्राफ्ट एवं उलेन बाजार दिनांक-14.12.2025 से 14.01.2026 तक नियमानुसार राजस्व वसूली करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की जाती है।**

अ०मद०सं० -04 :- हैंडलूम हैंडी क्राफ्ट सह सेल(अस्थाई रूप से) लगाने हेतु बुद्धा कॉलोनी राजापुर स्थित कारलो मारूति शोरूम के दक्षिण नगर निगम की खाली भूखंड आवंटित करने के संबंध में।

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- हैंडलूम हैंडी क्राफ्ट सह सेल(अस्थाई रूप से) लगाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

अपर नगर आयुक्त(पवर्तन) :- विभागीय आदेश है कि निगम की परती जमीन को भाड़े/किराया पर दिया जा सकता है। लेकिन उक्त जमीन पर निगम का कार्य होना है। इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जा सकता है।

श्रीमती अनीता देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया निगमहित को देखते हुए इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

श्रीमती कांति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

अ0मद0सं0 :-05 :- **पटना जंक्शन हनुमान मंदिर स्थित पुरानी ऑटो स्टैंड, दूध मार्केट की नगर निगम की खाली भूखंड में कश्मीरी उलेन बाजार सह सेल(अस्थायी रूप से) लगाने हेतु भूखंड आवंटित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पटना जंक्शन हनुमान मंदिर स्थित दूध मार्केट स्थित खाली भूखंड को किराये पर आवंट का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम ने पत्रांक-4912,दिनांक-18.11.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूखंड पर पटना मेट्रो रेल स्टेशन बनाने हेतु प्रस्तावित है। अतएव उक्त भूमि को आवंटन करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया निगमहित को देखते हुए इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

अ0मद0सं0 :-06 :- **बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन(संशोधन) नियमावली 2025 के प्रावधानों के आलोक में पटना नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) विनियम 2025 के प्रारूप पर विमर्श करने के संबंध में।**

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 419 के प्रावधानों के आलोक में नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर विज्ञापनों तथा इस तरह की अन्य युक्तियों के प्रदर्शन को विनियमित करने हेतु बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली,2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन (संशोधन) नियमावली 2025 अधिसूचित की गई है। बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन (संशोधन) नियमावली 2025 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 421 के तहत नगरपालिका के स्तर से विनियमन बनाया जाना है।

नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक–1697 दिनांक–10 जून 2025 द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 421 के प्रावधानों के आलोक में नगरपालिका के स्तर से विज्ञापन विनियम बनाकर विभागीय अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना है।

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन (संशोधन) नियमावली 2025 के आलोक में जोन का वर्गीकरण करते हुए पटना नगर निगम विज्ञापन(संशोधन) विनियमन 2025 का प्रारूप तैयार किया गया है। जिस पर विमर्श/स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। इस आशय का घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, विज्ञापन निगम के आय का एक बड़ा श्रोत है। वर्षो से विनियमन नहीं बनने के कारण विज्ञापनदाताओं से हम वसूली नहीं कर पा रहें है। यह विनियमन का प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि वर्षो से विज्ञापन नियमावली लंबित है। सरकार के द्वारा विज्ञापन नियमावली 2023-2025 के आलोक में विज्ञापन विनियमन में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, जो निम्नवत् है -

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली,2023 /2025 के आलोक में पटना नगर निगम द्वारा तैयार किया जाने वाला विनियमन में मुख्य बिन्दु को स्पष्ट/अंकित करने की आवश्यकता है।

1. विभागीय पत्रांक–1697, दिनांक–10.06.2025 द्वारा प्राप्त बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन(संशोधन) नियमावली 2025 के प्रावधानों के आलोक में पटना नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) विनियम 2025 अंकित रूल नं0 5 का पारा 'ए' में अंकित है कि रजिस्ट्रेशन सेन्टरलाईज/विभाग द्वारा की जानी है। जिसे संशोधित करते हुए

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-459 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन(संशोधन) नियमावली 2025 के प्रावधानों के आलोक में पटना नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) विनियमन 2025 का प्रारूप निम्नांकित बिन्दुओं को जोड़ते हुए संशोधन के साथ प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जो निम्नवत् है :-

1. विभागीय पत्रांक-1697, दिनांक-10.06.2025 द्वारा प्राप्त बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन(संशोधन) नियमावली 2025 के प्रावधानों के आलोक में पटना नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) विनियम 2025 अंकित रूल नं0 5 का पारा 'ए' में अंकित है कि रजिस्ट्रेशन सेन्टरलाईज/विभागं द्वारा की जानी है। जिसे संशोधित करते हुए एजेंसी का रजिस्ट्रेशन /लाइसेंस पटना नगर निगम द्वारा निर्गत किया जाना उचित प्रतीत होता है। जिससे की निगम को लाइसेंस फीस के रूप में लगभग सलाना 10(दस) करोड़ की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है।

2. जोन का निर्धारण करते समय संबंधित जोन में अधिष्ठापित होने वाली होर्डिंग स्थल को चिन्हित करते हुए कुल निर्धारित स्थल की सूची संलग्न करना अतिआवश्यक प्रतीत होता है।

3. रूल में पेनाल्टी का प्रोभीजन स्पष्ट नहीं है। जिसे रेगुलेशन बनाते समय इसे स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है।

4. जैसा की रूल-7 में स्पष्ट है कि किसी भी बकायेदार एजेन्सी को नयी लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाना है। जिससे संबंधित विस्तृत विवरणी स्पष्ट रूप से अंकित करने की आवश्यकता है।

5. जैसा कि रूल-5 में उल्लेखित है कि विज्ञापन शुल्क का निर्धारण ई-ट्रेडिंग प्रोसेस के माध्यम से निर्धारित किया जाना है। उक्त के आलोक में स्पष्टता /पारदर्शिता हेतु रजिस्ट्रेशन, जोन, निर्धारित स्थल, लाइसेंस रिनुअल, एवं अन्य सभी प्रकार के प्रक्रिया एवं जानकारी ऑन लाईन /साफ्टवेयर के माध्यम से की जानी अति अवाश्यक है ताकि भविष्य में किसी भी तरह का वित्तीय अनियमितता एवं निजी लाभ के उदेश्य से कार्य किया जाना संभव नहीं हो पाये।

विभागीय पत्रांक-1697, दिनांक-10.06.2025 द्वारा प्राप्त बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन(संशोधन) नियमावली 2025 के प्रावधानों के आलोक में पटना नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) विनियम 2025 के साथ उपरोक्त 05 बिन्दुओं

महापौर
पटना नगर निगम

एजेंसी का रजिस्ट्रेशन /लाइसेंस पटना नगर निगम द्वारा निर्गत किया जाना उचित प्रतीत होता है। जिससे की निगम को लाइसेंस फीस के रूप में लगभग सलाना 10(दस) करोड़ की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है।

2. जोन का निर्धारण करते समय संबंधित जोन में अधिष्ठापित होने वाली होर्डिंग स्थल को चिन्हित करते हुए कुल निर्धारित स्थल की सूची संलग्न करना अतिआवश्यक प्रतीत होता है।

3. रूल में पेनाल्टी का प्रोभीजन स्पष्ट नहीं है। जिसे रेगुलेशन बनाते समय इसे स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है।

4. जैसा की रूल-7 में स्पष्ट है कि किसी भी बकायेदार एजेन्सी को नयी लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाना है। जिससे संबंधित विस्तृत विवरणी स्पष्ट रूप से अंकित करने की आवश्यकता है।

5. जैसा कि रूल-5 में उल्लेखित है कि विज्ञापन शुल्क का निर्धारण ई-ट्रेडिंग प्रोसेस के माध्यम से निर्धारित किया जाना है। उक्त के आलोक में स्पष्टता /पारदर्शिता हेतु रजिस्ट्रेशन, जोन, निर्धारित स्थल, लाइसेंस रिनुअल, एवं अन्य सभी प्रकार के प्रक्रिया एवं जानकारी ऑन लाईन /साफ्टवेयर के माध्यम से की जानी अति अवाश्यक है ताकि भविष्य में किसी भी तरह का वित्तीय अनियमितता एवं निजी लाभ के उदेश्य से कार्य किया जाना संभव नहीं हो पाये।

विभागीय पत्रांक-1697, दिनांक-10.06.2025 द्वारा प्राप्त बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन(संशोधन) नियमावली 2025 के प्रावधानों के आलोक में पटना नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) विनियम 2025 के साथ उपरोक्त 05 बिन्दुओं (सुझाव)को शामिल करते हुए विज्ञापन विनियमन बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है तथा विनिमय की प्रारूप की प्रति उपलब्ध करायी जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, भ्रमण के क्रम में पाया गया कि विज्ञापन हेतु कई प्रकार के जैसे- होर्डिंग, यूनिपोल , लॉलीपोप लगे हुए है। इन पर नियमानुसार कर भी लगना चाहिए। यह प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर :- नगर आयुक्त महोदय, पूरा शहर विज्ञापन से पटा हुआ है। लेकिन निगम का आय शून्य है।इसका मुख्य कारण विज्ञापन विनियमन का नहीं होना है। मेरा सुझाव है कि विज्ञापन विनियमन का प्रारूप बनाकर सरकार को भेजा जाय।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

(सुझाव)को शामिल करते हुए विज्ञापन विनियमन बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है तथा विनिमय की प्रारूप की प्रति उपलब्ध करायी जाय।

अ0मद0सं0-07 :- दिनांक-08.02.2026 को पटना में आयोजित होने वाले हाफ मैराथन में पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी देने के संबंध में।

अध्यक्ष :- हाफ मैराथन में पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी देने के संबंध में।

नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, संपादकीय प्रमुख, दैनिक जागरण, i-next, पटना के द्वारा समर्पित आवेदन में दिनांक-08.02.2026 को पटना में आयोजित होने वाले हाफ मैराथन में पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी लेने हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-08.02.2026 को पटना में आयोजित होने वाले हाफ मैराथन में Co-Presenting, Co-Powered By तथा In Association with में पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी देना है। इस हेतु हाफ मैराथन में Co-Presenting में राशि 10 लाख + GST 18%, Co-Powered By में राशि 08 लाख+ GST 18% तथा In Association with में 05 लाख + GST 18% व्यय होना है, जिसपर विमर्श/स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

अपर नगर आयुक्त(प्रवर्तन) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, i -next द्वारा दिनांक-08.02.2026 को हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। जिसमें अनुदान के रूप में निगम द्वारा राशि आवंटन की जाती है। इस वर्ष In Association with में पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी के रूप में 05 लाख + GST 18% व्यय राशि दिया जा सकता है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।
श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।
श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-460 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि i-next द्वारा दिनांक-08.02.2026 को पटना में आयोजित होने वाले हाफ मैराथन में पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी के रूप में In Association with के तहत 05 लाख + GST 18% व्यय राशि देने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(सीता साहू)
महापौर
पटना नगर निगम

अ0मद0सं0 :-08 :- पटना नगर निगम में डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य हेतु नये वाहन/उपकरण **क्रय करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य हेतु नये वाहन/उपकरण क्रय करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कचरा संग्रहण कार्य में कार्यरत वाहन/उपकरण, पुराना एवं जर्जर हो गया है। जिसके कारण कचरा संग्रहण कार्य में पेरशानी हो रही है।

विदित हो कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-10528, दिनांक-19.11.2024 के आलोक में मोटरयान निरीक्षक के द्वारा निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये 158 जर्जर वाहनों की सूची के क्रम में वाहनों की जांच की गई, जिसमें 152 वाहनों को Condem घोषित किया गया एवं नीलामी हेतु न्यूनतम मूल्य 82.56 लाख रूपया निर्धारित की गई। निलामी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इससे संबंधित संलेख कार्यालय पत्रांक-5183, दिनांक-25.03.2025 के द्वारा भेजी गयी है।

उक्त के आलोक में डोर -टू-डोर कचरा संग्रहण हेतु वाहन/उपकरण क्रय के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विमर्श/स्वीकृति हेतु रखा गया है।

अपर नगर आयुक्त(पवर्तन) :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि निगम के पुराने वाहन जर्जर हो चुके है। अब नए वाहन/उपकरण के क्रय की आवश्यकता है। प्रत्येक वार्ड में 5 सेक्टर है। हर सेक्टर के लिए दो-दो कूड़ा उठाव हेतु वाहन रहना चाहिए।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, हर वार्ड के लिए दो-दो ई-कार्ट एवं एक ओपन टीपर और आवश्यकता है। जिससे कूड़ा का उठाव हो सके। इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, अजीमाबाद और पटना सिटी अंचल में एक भी ओपन टीपर नहीं है। नाला उड़ाही के समय नाले से निकलने वाले सील्ट को उठाने के लिए ओपन टीपर की आवश्यकता होती है एवं क्लोप टीपर की स्थिति भी काफी जर्जर है। क्लोज टीपर का भी क्रय होना चाहिए।

माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-11.08.2023 को हुई निगम पर्षद की तृतीय साधाण बैठक में 30 सी0एन0जी0 ओपन टीपर क्रय का प्रस्ताव पारित किया गया है। मेरा सुझाव है कि 75 ओपेन टीपर के प्रस्ताव के स्थान पर 45 ओपन टीपर का क्रय किया जाय एवं पूर्व में 30 ओपेन टीपर का प्रस्ताव पारित किया गया है, उसका निविदा किया जाय।इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सफाई व्यवस्था को सुचारू ढ़ंग से संचालन हेतु 3 मिनी पोकलन, दो सुपर सकर मशीन की आवश्यकता होगी। इस प्रस्ताव का पारित किया जा सकता है।

श्रीमती कांति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, गलियों से कूड़ा उठाने के लिए हाथ गाड़ी का होना बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ गाड़ी की स्थित काफी जर्जर है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक वार्ड 05-05 हाथ गाड़ी की व्यवस्था की जाय। इस प्रस्ताव का पारित किया जा सकता है।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या- 461 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम में डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य हेतु नये वाहन/उपकरण एवं अन्य सफाई सामग्री के क्रय करने के प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जो नम्नवत् है :-

1. **ई0-रिक्सा :- 150 अदद**
2. **क्लोज टीपर :- 150 अदद**
3. **ओपन टीपर :- 45 अदद**
4. **हाथ गाड़ी :- 05 (प्रत्येक वार्ड के लिए)**
5. **मिनी पोकलेन :- 03 अदद**
6. **सुपर सकर :- 02 अदद**

अ0मद0सं0 :-09 :- पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों में स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन एवं रख-रखाव के संबंध में।

अध्यक्ष :- स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन एवं रख-रखाव का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों में स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन एवं रख-रखाव EESL द्वारा किया जा रहा है। विदित हो कि स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन एवं रख-रखाव हेतु EESL के साथ पूर्व में किये गये एकरारनामा की अवधि दिनांक-30.09.2025 को समाप्त हो गयी है। पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक प्रकाश हेतु स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन एवं रख-रखाव अत्यंत आवश्यक है।

उक्त के आलोक में पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों में स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन एवं रख-रखाव हेतु EESL की अवधि विस्तार अथवा नये एजेंसी का चयन हेतु सशक्त स्थायी समिति से विमर्श/निर्णय हेतु प्रस्ताव रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में लाईट खराब होने की शिकायते मिल रही है। कई वार्डो में आधे-अधूरे लाईट लगाये गये है। जिससे गलियों में अंधेरा रहता है। मेरा प्रस्ताव है कि खराब लाईटों की मरम्मति की जाय एवं नये लाईट लगाने की व्यवस्था की जाय।

प्रत्येक वार्ड में नये लाईट लगाने हेतु सर्वे कराते हुए सफाई निरीक्षक एवं माननीय वार्ड पार्षद के संयुक्त हस्ताक्षर से सूची उपलब्ध करायी जाय और समेकित रूप से लाईट क्रय हेतु नये एजेंसी का चयन किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, लाईट लगाने वाले एजेंसी EESL का एकरारनामा 30.09.2025 को समाप्त हो गयी है। अत: मेरा सुझाव है कि EESL **एजेंसी** द्वारा कार्य

महापौर
पटना नगर निगम

किया गया है। उसकी अवधि 31.03.2026 तक विस्तार किया जा सकता है। साथ ही नये एजेंसी के चयन की प्रक्रिया 20 दिनों के अन्दर किया जाय।

अध्यक्ष महोदया, जो लाईट पूर्व लगे हुए है उसका रख-रखाव हेतु एवं नये लगाने एवं रख-रखाव हेतु नये एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से किया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-462 : - सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों में स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन एवं रख-रखाव हेतु EESL एजेंसी के एकरारनामा की अवधि दिनांक-31.03.2026 तक विस्तार करने प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क. पटना नगर निगम क्षेत्र में नये लाईट के अधिष्ठापन, रख-रखाव एवं पूर्व से लगे लाईटों के मरम्मति एवं रख-रखाव हेतु नये एजेंसी का चयन हेतु तीन माह के अन्दर निविदा का प्रकाशन किया जाय।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ सम्पत्ति कर निगम का मुख्य आय का श्रोत है। इसकी वसूली में तेजी लाना होगा। राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के लिए एजेंसी रखने का निर्णय लिया जाय। चुकि निगम स्वयं वसूल करने में सक्षम नहीं हो रहा है। घर-घर जाकर वसूली करने की तत्काल आवश्यकता है। नये एजेंसी को लाने में भी समय लग सकता है। वर्त्तमान में कोई ऐसा एजेंसी को रखा जाय जो इस वित्तीय वर्ष में राजस्व की वसूली में तेजी जा सके।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया के माध्यम से नगर आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि पूर्व में निगम का सम्पति कर स्पैरों एजेंसी के द्वारा वसूल किया जाता था। लेकिन स्पैरों के कर्मचारियों द्वारा नागरिकों से शिकायत मिलने एवं स्पैरों द्वारा कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं देने के कारण स्पैरो को कार्य से मुक्त कर दिया गया था। वर्त्तमान समय मे़ं राजस्व वसूली का कार्य सफाई निरीक्षक/पर्यवेक्षक के द्वारा किया जा रहा है। जिससे सफाई कार्य प्रभावित हो रही है। जल्द से जल्द राजस्व वसूली हेतु सक्षम एजेंसी का चयन किया जाय।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि निगम में कुशल कर्मचारियों की कमी है। इसके पूर्व में निगम के महत्वपूर्ण कार्यो को करने हेतु एजेंसी को रखा गया था। वर्त्तमान समय में एजेंसी का कार्य अवधि समाप्त हो गया है या होने वाला है। वित्तीय वर्ष भी अंतिम चरण में है। बजट एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य को भी करना है। मेरा सुझाव है कि इन सभी कार्यो के लिए एजेंसी का चयन किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए पूर्व से भी एजेंसी कार्यरत था। जिनका अवधि समाप्त हो गया है। मेरा प्रस्ताव है कि इन महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पाद हेतु एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जा सकता है।

श्रीमती कांति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-463 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष अन्तिम चरण में है। निगम के महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा के माध्यम से नये एजेंसी के चयन के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद संख्या-10 :- **पटना नगर निगम क्षेत्र में चल रहे रैन बसेरा में निःशुल्क रात्रि भोजन की व्यवस्था के संबंध में।**

अध्यक्ष :- रैन बसेरा में निःशुल्क रात्रि भोजन की व्यवस्था का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत् पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर शीत ऋतु में गरीब व असहाय आश्रयविहीन व्यक्तियों के लिए स्थायी एवं अस्थायी आश्रय स्थल/रैन बसेरा के माध्यम से आश्रविहीन व्यक्तियों के लिए ठण्ड से बचाव हेतु मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। इस क्रम में गरीब व असहाय आश्रयविहीन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क रात्रि भोजन की व्यवस्था किया जाना है।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका बिहार, पटना द्वारा पटना नगर निगम को निगम के सभी अंचलों में कुल 20 स्थलों पर दिनांक-01.12.2025 से 28.02.2026 तक दीदी की रसोई जीविका द्वारा आश्रस्थल/रैन बसेरा में आश्रयविहीन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क रात्रि भोजन की व्यवस्था

महापौर
पटना नगर निगम

किये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय/स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम क्षेत्र में दीदी की रसोई के द्वारा रैन बसेरा में नि:शुल्क रात्रि भोजन की आपूर्ति रैन बसेरा में रहने वाले व्यक्तियों को किये जाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा प्रस्ताव है। इसे पारित किया जा सकता है।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। इसे पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-464 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के सभी 06 अंचलों में 20 स्थलों पर दिनांक-01.12.2025 से 28.02.2026 तक दीदी की रसोई जीविका द्वारा आश्रय स्थल /रैन बसेरा में रहने वाले आश्रयविहीन व्यक्तियों को नि:शुल्क रात्रि भोजन की व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अध्यक्ष :- बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए समाप्ति की घोषणा की जाती है।

सीता साहू
13/1/26
महापौर
(सीता साहू)
पटना नगर निगम
अध्यक्ष,
पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर/ माननीय उप-महापौर/ माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/ नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर सचिव,
पटना नगर निगम, पटना।
15/01/2026